खण्ड–477, अंक–1
सोमवार, 30 कार्तिक, शक संवत् 1933
(21 नवम्बर, 2011 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(पन्द्रहवीं विधान सभा, तृतीय सत्र, 2011)

(खण्ड 477 में 01 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2011

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
पन्द्रहवीं विधान सभा के सदस्यों की सूची, महामहिम श्री राज्यपाल, मंत्रि-परिषद्, नेता विरोधी दल, उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी तथा अधिष्ठाता मण्डल की सूची	1-12
उपस्थित सदस्य	13-18
राष्ट्रीय गीत	19
प्रश्नोत्तर (जारी)	19-20
सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव सर्वप्रथम लिये जाने की मांग..... (जारी) ...	20-22
प्रश्नोत्तर	22-58
सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव सर्वप्रथम लिये जाने की मांग ...	58
वित्तीय वर्ष 2012-2013 का आय-व्ययक (अन्तरिम) ..... (प्रस्तुत) ...	59-59
वित्तीय वर्ष 2012-2013 के एक भाग के लिए लेखानुदान का प्रस्ताव ..... (स्वीकृत)	60
उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2011 ..... (पारित) ...	60-68
कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव ..... (स्वीकृत) ...	69
डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्न रूपेण योग्य हेतु) उत्तर प्रदेश संशोधन विधेयक, 2011..... (जारी)	70
उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के संगत प्राविधानों को शिथिल करते हुए डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्न रूपेण योग्य हेतु) उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2011 पर विचार एवं पारण की मदें आज ही लिये जाने का प्रस्ताव ..... (स्वीकृत) ...	70
डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्न रूपेण योग्स हेतु) उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2011 ..... (पारित)	71-72
उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन करते हुए पूर्वांचल, बुन्देलखण्ड, अवध प्रदेश एवं पश्चिम प्रदेश के नाम से चार पृथक राज्यों की स्थापना किये जाने विषयक प्रस्ताव ..... (स्वीकृत)	72-73
लेखानुदान सम्बन्धी प्रस्ताव को ही सदन का विश्वास मत प्राप्त हुआ मान लिये जाने का अनुरोध	73
सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किये जाने का प्रस्ताव ..... (स्वीकृत)	73-74
राष्ट्रगान	74
नत्थियां	75-80

उत्तर प्रदेश विधान सभा
पन्द्रहवीं विधान सभा के सदस्यों की सूची

1. अंगद यादव, श्री — आजमगढ़
2. अकबर हुसैन, श्री — मुरादाबाद
3. अकीलुर्रहमान खाँ, श्री — मुरादाबाद
4. अखिलेश कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
5. अजय कपूर, श्री — कानपुर नगर
6. अजय तोमर, डा0 — बागपत
7. अजय पाल सिंह, कुंवर — रायबरेली
8. अजय यादव, श्री — एटा
9. अजय राय, श्री — वाराणसी
10. अजय सिंह, श्री — जालौन
11. अनन्त कुमार मिश्रा, श्री — फर्रुखाबाद
12. अनिल कुमार, श्री — बुलन्दशहर
13. अनिल कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
14. अनिल कुमार अहिरवार, श्री — महोबा
15. अनिल कुमार दोहरे, श्री — कन्नौज
16. अनिल कुमार मौर्य, श्री — मिर्जापुर
17. अनिल चौधरी, डा0हाथरस (महामायानगर)
18. अनीस अहमद खाँ उर्फ फूलबाबू, श्री — पीलीभीत
19. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री — इलाहाबाद
20. अनूप कुमार गुप्ता, श्री — सीतापुर
21. अनूप सण्डा, श्री — सुल्तानपुर
22. अब्दुल कलाम, श्री — सन्तकबीरनगर
23. अब्दुल मन्नान, श्री — हरदोई
24. अब्दुल वारिस खाँ, श्री — मुजफ्फरनगर
25. अब्दुल समद अंसारी, हाजी — वाराणसी
26. अब्बास अली जैदी उर्फ रूश्दी मियां, श्री — फैजाबाद
27. अमरमणि त्रिपाठी, श्री — महराजगंज
28. अमरेश कुमार शुक्ल, श्री — बाराबंकी
29. अमित गौरव, श्री — एटा
30. अमीता सिंह, श्रीमती — सुल्तानपुर
31. अमेरिका प्रधान, श्री — गाजीपुर
32. अम्बिका चौधरी, श्री — बलिया
33. अम्बिका सिंह, श्री — गोरखपुर
34. अयोध्या प्रसाद पाल, श्री — फतेहपुर
35. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री — बाराबंकी
36. अरविन्द गिरि, श्री — लखीमपुर खीरी
37. अरविन्द सिंह यादव, श्री — कन्नौज
38. अरशद खान, श्री — पीलीभीत
39. अरूण कुमार यादव, श्री — आजमगढ़
40. अरुणा तोमर, श्रीमती — कानपुर नगर
41. अलाउद्दीन, श्री — बलरामपुर
42. अलीम हाजी, श्री — बुलन्दशहर
43. अवध पाल सिंह यादव, श्री — एटा
44. अवधेश प्रसाद, श्री — फैजाबाद
45. अवधेश वर्मा, श्री — शाहजहाँपुर
46. अवनीन्द्र नाथ द्विवेदी उर्फ महन्त दूबे, श्री — महराजगंज
47. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — लखीमपुर खीरी
48. अशोक कंसल, श्री — मुजफ्फरनगर
49. अशोक कुमार दोहरे, श्री — औरैया
50. अशोक कुमार राणा, श्री — बिजनौर
51. अशोक कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
52. अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री — हमीरपुर
53. अशोक यादव, श्री — फिरोजाबाद
54. अशोक सिंह चौहान, श्री — मैनपुरी
55. आदित्य पाण्डेय, श्री — फतेहपुर
56. आनन्द कुमार उर्फ कलेक्टर पाण्डेय, श्री — इलाहाबाद
57. आनन्द सेन, श्री — फैजाबाद
58. आर0 ए0 उस्मानी, (डा0) श्री — लखीमपुर खीरी
59. आर0 के0 चौधरी, श्री — लखनऊ
60. आर0 के0 शर्मा, पंडित — बरेली
61. आरिफ अनवर हाशमी, श्री — गोण्डा

62. आलोक कुमार शाक्य, श्री मैनपुरी
63. आसिफ, श्री हरदोई
64. इकबाल महमूद, श्री मुरादाबाद
65. इन्द्रजीत सरोज, श्री कौशाम्बी
66. इमरान महसूद, श्री सहारनपुर
67. इरफान सोलंकी, श्री कानपुर नगर
68. ईश्वर चन्द्र शुक्ल, श्री सिद्धार्थनगर
69. उत्कर्ष वर्मा 'मधुर', श्री लखीमपुर खीरी
70. उदयभान करवरिया, श्री इलाहाबाद
71. उदयराज, श्री उन्नाव
72. उदयलाल मौर्य, श्री वाराणसी
73. उमेश पाण्डेय, श्री मऊ
74. उस्मानुल हक, श्री मुरादाबाद
75. ओम प्रकाश सिंह, श्री मिर्जापुर
76. ओम प्रकाश सिंह (ओ0पी0सिंह), श्री सुल्तानपुर
77. ओमवती देवी, श्रीमती बिजनौर
78. कमलेश चन्द दिवाकर, श्री कानपुर देहात
79. काजिम अली खाँ उर्फ नवेद मियां, नवाब रामपुर
80. कामेश्वर उपाध्याय, श्री देवरिया
81. कालीचरन राजभर, श्री गाजीपुर
82. काशीराम, श्री रामपुर
83. कुवेर सिंह, श्री एटा
84. कुलदीप सिंह गंगवार, श्री फर्रूखाबाद
85. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
86. कृपा शंकर सिंह, श्री उन्नाव
87. कृष्ण कुमार, श्री बहराइच
88. कृष्ण गोपाल पटेल, श्री लखीमपुर खीरी
89. कृष्णाराज, श्रीमती लखीमपुर खीरी
90. के0 के0 सचान, डा0 जौनपुर
91. केदारनाथ वर्मा, श्री बलिया
92. कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
93. कैलाश साहू, श्री झांसी
94. कैलाश सिंह राजपूत, श्री कन्नौज
95. कौकब हमीद खाँ, श्री बागपत
96. कौशलेन्द्र नाथ योगी, महंत बलरामपुर
97. खातून तौफीक, श्रीमती सिद्धार्थनगर
98. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
99. गिरीश चन्द्र, श्री मुरादाबाद
100. गुटियारी लाल दुबेश, श्री आगरा
101. गुरू प्रसाद मौर्य, श्री इलाहाबाद
102. गुलाम मोहम्मद खान, श्री बहराइच
103. गेंदा लाल चौधरी, श्री हाथरस (महामायानगर)
104. घूराराम, श्री बलिया
105. चन्द्रदेव, श्री आजमगढ़
106. चन्द्र प्रकाश मिश्र ''मटियारी'', श्री सुल्तानपुर
107. चन्द्रभद्र सिंह, श्री सुल्तानपुर
108. चन्द्रवीर सिंह, श्री मेरठ
109. चौधरी रविन्द्र प्रताप, श्री सिद्धार्थनगर
110. छत्रपाल सिंह, श्री बरेली
111. छोटे सिंह, श्री जालौन
112. जगदीश नारायण राय, श्री जौनपुर
113. जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
114. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
115. जगपाल, श्री सहारनपुर
116. जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री महराजगंज
117. जमीरउल्ला, श्री अलीगढ़
118. जयवीर सिंह, श्री मैनपुरी
119. जयवीर सिंह, ठाकुर अलीगढ़
120. जसवन्त सिंह उर्फ अतुल सिंह, श्री कुशीनगर
121. जावेद अंसारी एडवोकेट, श्री जौनपुर
122. जितेन्द्र कुमार एडवोकेट, श्री चन्दौली
123. जितेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री बस्ती
124. जुल्फिकार अहमद भुट्टो, श्री आगरा
125. जोखू लाल यादव, श्री इलाहाबाद
126. ज्योत्सना श्रीवास्तव, डा0 वाराणसी
127. ताहिर हुसैन सिद्दीकी, श्री फर्रूखाबाद
128. त्रिभुवन दत्त, श्री अम्बेडकरनगर
129. दद्दन मिश्रा, श्री श्रावस्ती
130. दद्दू प्रसाद, श्री चित्रकूट

131. दयाराम, श्री कौशाम्बी
132. दाउद अहमद, श्री हरदोई
133. दिनेश प्रसाद, श्री चित्रकूट
134. दीनानाथ कुशवाहा, श्री देवरिया
135. दीनानाथ पाण्डेय, श्री वाराणसी
136. दीपक कुमार, श्री उन्नाव
137. दीप नारायण सिंह दीपक यादव, श्री झाँसी
138. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
139. दूधराम, श्री बस्ती
140. धर्मपाल, श्री गाजियाबाद
141. धर्मपाल यादव डी0पी0 यादव, श्री बदायूँ
142. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
143. धर्मराज निषाद, श्री अम्बेडकरनगर
144. धर्म सिंह सैनी, डा0 सहारनपुर
145. धर्मी रावत, श्रीमती बाराबंकी
146. धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री बरेली
147. धीरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री बलरामपुर
148. धीरेन्द्र प्रसाद, श्री शाहजहांपुर
149. धू राम लोधी चौधरी, श्री हमीरपुर
150. नकुल दूबे, श्री लखनऊ
151. नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी', श्री इलाहाबाद
152. नन्दिता शुक्ला, श्रीमती गोण्डा
153. नरेन्द्र सिंह, श्री फर्रूखाबाद
154. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
155. नारायण सिंह, श्री आगरा
156. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
157. निर्मल वर्मा, श्री सीतापुर
158. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री शाहजहाँपुर
159. पंकज कुमार मलिक, श्री मुजफ्फरनगर
160. पशुपति, श्री गाजीपुर
161. पी0 के0 राय, डा0 कुशीनगर
162. पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी, श्री बाँदा
163. पूजा पाल, श्रीमती इलाहाबाद
164. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
165. प्रजापालन, श्री एटा
166. प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती कानपुर देहात
167. प्रदीप कुमार उर्फ गुड्डू, श्री बदायूं
168. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
169. प्रमोद तिवारी, श्री प्रतापगढ़
170. प्रमोद सिंह, श्री देवरिया
171. प्रवीण पटेल, श्री इलाहाबाद
172. प्रेमलता कटियार, श्रीमती कानपुर नगर
173. प्रेमलता देवी, श्रीमती अलीगढ़
174. फतेह बहादुर, श्री महराजगंज
175. फरहत हसन, श्री ज्योतिबाफूलेनगर
176. फसीहा बशीर चौधरी (गजाला लारी),श्रीमती देवरिया
177. फागू चौहान, श्री मऊ
178. बजरंग बहादुर सिंह, श्री महराजगंज
179. बलबीर, श्री मुजफ्फरनगर
180. बलराम सिंह सैनी, श्री मुरादाबाद
181. बादशाह सिंह, श्री हमीरपुर
182. बासुदेव सिंह ''बाबा'', श्री बुलन्दशहर
183. बिमलेश सिंह, श्रीमती अलीगढ़
184. बिरजू राम, श्री जौनपुर
185. बृजेश सौरभ, श्री प्रतापगढ़
186. बैजनाथ दूबे, श्री गोण्डा
187. ब्रम्हाशंकर त्रिपाठी, श्री देवरिया
188. भगवत शरण गंगवार, श्री बरेली
189. भगवती प्रसाद सागर, श्री झाँसी
190. भगवान दास, श्री सन्तकबीरनगर
191. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
192. भगेलू राम, श्री सुल्तानपुर
193. भीमराव अम्बेडकर एडवोकेट, श्री इटावा
194. भोला पासवान, श्री आजमगढ़
195. मंजू, श्रीमती बलिया
196. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
197. मदन भैया उर्फ मदन गोपाल, श्री बागपत
198. मधुबाला, श्रीमती संत रविदासनगर (भदोही)
199. मधुसूदन शर्मा, श्री आगरा
200. मनोज चौधरी, श्री सहारनपुर
201. ममतेश शाक्य, श्री एटा

202. मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री रायबरेली
203. महबूब अली, श्री ज्योतिबाफूलेनगर
204. महिपाल सिंह, श्री सहारनपुर
205. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री सीतापुर
206. महेन्द्र सिंह, श्री अलीगढ़
207. महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री इटावा
208. महेश चन्द्र वर्मा, डा0 औरैया
209. महेश चन्द्र गुप्ता, श्री बदायूँ
210. महेश त्रिवेदी, श्री कानपुर देहात
211. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
212. माधव पासवान, श्री गोरखपुर
213. मिथलेश कटियार, श्रीमती कानपुर देहात
214. मिथिलेश पाल, श्रीमती मुजफ्फरनगर
215. मीता गौतम, कु0 बाराबंकी
216. मुख्तार अंसारी, श्री मऊ
217. मुरलीधर, श्री फतेहपुर
218. मुस्लिम खाँ, श्री बदायूँ
219. मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
220. मोहम्मद इकबाल, श्री बिजनौर
221. मोहम्मद इरशाद खान, श्री लखनऊ
222. मोहम्मद गाजी, श्री बिजनौर
223. मोहम्मद जलील खान, श्री गोण्डा
224. मोहम्मद जासमीर अंसारी, श्री सीतापुर
225. मोहम्मद ताबिश खां, श्री सन्तकबीरनगर
226. मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री इलाहाबाद
227. यशपाल सिंह, श्री बिजनौर
228. यशपाल सिंह चौहान, श्री अलीगढ़
229. यशवन्त सिंह, डा0 मुजफ्फरनगर
230. यसपाल सिंह रावत, श्री गोरखपुर
231. याकूब हाजी, श्री मेरठ
232. योगराज सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
233. योगेन्द्र सागर, श्री बदायूँ
234. योगेश वर्मा, श्री मेरठ
235. रंगनाथ मिश्र, श्री सन्त रविदासनगर (भदोही)
236. रघुनाथ प्रसाद संखवार, डा0 कानपुर देहात
237. रघुराज प्रताप सिंह ''राजा भइया'', कुं0 प्रतापगढ़
238. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
239. रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भइया, श्री फतेहपुर
240. रतनलाल अहिरवार, श्री झाँसी
241. रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री कुशीनगर
242. रमेश गौतम, श्री गोण्डा
243. रमेश चन्द्र विन्द, डा0 मिर्जापुर
244. रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
245. रवीन्द्र कुमार (मोल्हू), श्री सहारनपुर
246. राकेश कुमार गोस्वामी, श्री महोबा
247. राकेश धर त्रिपाठी, डा0 इलाहाबाद
248. राकेश बाबू, श्री फिरोजाबाद
249. राघव लखन पाल शर्मा, श्री सहारनपुर
250. राजकिशोर सिंह, श्री बस्ती
251. राजकुमार रावत, श्री मथुरा
252. राजकुमार सिंह गौतम, डा0 गाजीपुर
253. राजदेव सिंह, श्री जौनपुर
254. राजपाल त्यागी, श्री गाजियाबाद
255. राजपाल सिंह, श्री गाजियाबाद
256. राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
257. राजमती निषाद, श्रीमती गोरखपुर
258. राजाराम कोरी उर्फ त्यागी, श्री रायबरेली
259. राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
260. राजेन्द्र कुमार, श्री मऊ
261. राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री प्रतापगढ़
262. राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
263. राजेन्द्र सिंह, डा0 आगरा
264. राजेन्द्र सिंह उर्फ पहलवान सिंह, श्री गोरखपुर
265. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
266. राजेश कुमार, श्री लखीमपुर खीरी
267. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
268. राजेश यादव, श्री शाहजहाँपुर
269. राजेश्वरी, श्रीमती हरदोई

270. राधामोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर
271. राधे लाल रावत, श्री उन्नाव
272. राधे श्याम गुप्ता, श्री फतेहपुर
273. राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
274. राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकरनगर
275. राम कुमार तिवारी, पण्डित ललितपुर
276. रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
277. रामपाल वर्मा, श्री हरदोई
278. राम प्रकाश कुशवाहा, पी0एच0डी0, डा0 कानपुर नगर
279. राम प्रकाश यादव, श्री फिरोजाबाद
280. राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
281. राम प्रसाद जायसवाल, श्री देवरिया
282. राम बिशुन आजाद, श्री गोण्डा
283. रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
284. राम शिरोमणि शुक्ल, श्री प्रतापगढ़
285. राम सागर अकेला, श्री श्रावस्ती
286. राम सिंह, डा0 अलीगढ़
287. रामसेवक, श्री सुल्तानपुर
288. राम सेवक सिंह पटेल, श्री बदायूँ
289. रामस्वरूप सिंह, श्री कानपुर देहात
290. रामहेत भारती, श्री सीतापुर
291. रिजवान अहमद खाँ, श्री ज्योतिबाफूले नगर
292. रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
293. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहाँपुर
294. लक्ष्मी नारायण, श्री मथुरा
295. लखीराम नागर, श्री मेरठ
296. लल्लू सिंह, श्री फैजाबाद
297. लाल जी यादव, श्री सिद्धार्थनगर
298. लाल जी वर्मा, श्री अम्बेडकरनगर
299. वकार अहमद शाह, डा0 बहराइच
300. वाचस्पति, श्री कौशाम्बी
301. वारिस अली, श्री बहराइच
302. विजय कुमार, श्री गाजीपुर
303. विजय कुमार उर्फ विजय यादव, श्री मुरादाबाद
304. विजय कुमार मिश्र, श्री सन्त रविदासनगर (भदोही)
305. विजय पाल सिंह, श्री बरेली
306. विजय बहादुर यादव, श्री गोरखपुर
307. विद्या चौधरी, श्रीमती आजमगढ़
308. विद्यासागर गुप्त, श्री लखनऊ
309. विनोद कुमार, श्री प्रतापगढ़
310. विनोद कुमार हरित, श्री मेरठ
311. विनोद चतुर्वेदी, श्री जालौन
312. विनोद सिंह, श्री सुल्तानपुर
313. विवेक कुमार सिंह, श्री बांदा
314. विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री बांदा
315. विशम्भर सिंह यादव, श्री बांदा
316. विश्वनाथ, श्री कुशीनगर
317. वीरेन्द्र कुमार, श्री हरदोई
318. वीरेन्द्र सिंह, श्री बरेली
319. वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री बुलन्दशहर
320. वृज सिंह उर्फ वृज कुंवरि, श्रीमती गोण्डा
321. वेदराम भाटी, श्री बुलन्दशहर
322. शब्बीर अहमद, श्री बहराइच
323. शम्भू चौधरी, श्री कुशीनगर
324. शहजिल इस्लाम अंसारी, श्री बरेली
325. शहनवाज, श्री बिजनौर
326. शारदा प्रसाद, श्री चन्दौली
327. शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
328. शिव गणेश ''लोधी'', श्री रायबरेली
329. शिवपाल सिंह यादव, श्री इटावा
330. शिव प्रसाद यादव, श्री इटावा
331. शिवबालक पासी, श्री रायबरेली
332. शिवशंकर, श्री बलिया
333. शीशराम, श्री बिजनौर
334. शेख नसीरुद्दीन सिद्दीकी, श्री फिरोजाबाद
335. शेखर तिवारी, श्री औरैया
336. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर
337. श्याम किशोर शुक्ला, श्री लखनऊ
338. श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री वाराणसी
339. श्याम नरायण यादव, श्री आजमगढ़

340. श्याम लाल, श्री बलरामपुर
341. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
342. श्रीपति आजाद, श्री महराजगंज
343. श्रीभगवान पाठक, श्री बलिया
344. संग्राम सिंह, श्री बाराबंकी
345. संजय कपूर, श्री रामपुर
346. संजय कुमार त्रिपाठी, श्री प्रतापगढ़
347. संजीव दरियाबादी, ''बन्टी'' श्री कानपुर नगर
348. संदीप अग्रवाल, श्री मुरादाबाद
349. संध्या, कुमारी मैनपुरी
350. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
351. सत्य नारायण जैसल, श्री सोनभद्र
352. सत्यपाल सिंह, चौ0 अलीगढ़
353. सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ
354. सत्यवीर सिंह गुर्जर, श्री गौतमबुद्धनगर
355. सत्येन्द्र सोलंकी, चौ0 बागपत
356. सदल प्रसाद, श्री गोरखपुर
357. सनातन पाण्डेय, श्री बलिया
358. सर्वेश कुमार सिंह सीपू, श्री आजमगढ़
359. सलिल विश्नोई, श्री कानपुर नगर
360. सिद्धार्थ शंकर, डा0 लखनऊ
361. सिनोद कुमार शाक्य, श्री बदायूँ
362. सिवगतुल्लाह अंसारी, श्री गाजीपुर
363. सी0 एम0 प्रसाद, श्री सोनभद्र
364. सीमा द्विवेदी, श्रीमती जौनपुर
365. सी0 वी0 इन्निस, श्री नाम-निर्देशित
366. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री फतेहपुर
367. सुखदेव राजभर, श्री आजमगढ़
368. सुखलाल, श्री पीलीभीत
369. सुधीर कुमार, श्री उन्नाव
370. सुनील शर्मा, श्री गाजियाबाद
371. सुन्दर लाल लोधी, श्री उन्नाव
372. सुन्दर सिंह, श्री बुलन्दशहर
373. सुभाष, श्री बलिया
374. सुमन देवी कुशवाहा, श्रीमती ललितपुर
375. सुभाष पाण्डेय, श्री जौनपुर
376. सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री आजमगढ़
377. सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
378. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
379. सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री लखनऊ
380. सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री लखनऊ
381. सुरेश तिवारी, श्री देवरिया
382. सुरेश्वर सिंह, श्री बहराइच
383. सुल्तान बेग, श्री बरेली
384. सुशील कुमार, श्री चन्दौली
385. सूरजपाल सिंह ठाकुर, श्री आगरा
386. सूरज सिंह शाक्य, श्री एटा
387. सूर्यभान, श्री मिर्जापुर
388. सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती गाजीपुर
389. सोबरन सिंह, श्री मैनपुरी
390. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
391. हरगोविन्द भार्गव, डा0 सीतापुर
392. हरपाल सिंह, श्री मुरादाबाद
393. हरिओम, श्री जालौन
394. हसरत उल्ला, श्री एटा
395. हुकुम सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
396. होराम सिंह, श्री गौतमबुद्धनगर
397. रिक्त चन्दौली
398. रिक्त बाराबंकी
399. रिक्त अम्बेडकर नगर
400. रिक्त बुलन्दशहर
401. रिक्त हरदोई
402. रिक्त बदायूं
403. रिक्त फैजाबाद
404. रिक्त सन्त कबीरनगर

रिक्त-8

*1-मुगलसराय (चन्दौली)	निर्वाचन क्षे0सं0-224
**2-मसौली (बाराबंकी)	निर्वाचन क्षे0सं0-126
***3-जलालपुर (अम्बेडकर नगर)	निर्वाचन क्षे0सं0-115
****4-डिबाई (बुलन्दशहर)	निर्वाचन क्षे0सं0-364
*****5-मल्लावां (हरदोई)	निर्वाचन क्षे0सं0-75
******6-बिसौली (बदायूं)	निर्वाचन क्षे0सं0-24
*******7-बीकापुर (फैजाबाद)	निर्वाचन क्षे0सं0-119
********8-हैंसर बाजार (सन्त कबीर नगर)	निर्वाचन क्षे0सं0-162

---

* निर्वाचन क्षेत्र संख्या-224, मुगलसराय, जिला-चन्दौली से निर्वाचित सदस्य श्री राम किशुन द्वारा दिनांक 26 मई, 2009 के पूर्वाह्न से त्याग-पत्र दिये जाने के फलस्वरूप।

** मा0 अध्यक्ष, विधान सभा के आदेश दिनांक 16 सितम्बर, 2011 द्वारा ''भारत का संविधान'' की दसवीं अनुसूची के पैरा-2(1) (क) के अन्तर्गत श्री फरीद महफूज किदवई को विधान सभा की सदस्यता से दिनांक 9 मई, 2011 से निरर्ह घोषित किये जाने के फलस्वरूप।

*** मा0 अध्यक्ष, विधान सभा के आदेश दिनांक 04 अक्टूबर, 2011 द्वारा ''भारत का संविधान'' की दसवीं अनुसूची के पैरा-2(1) (क) के अन्तर्गत श्री शेर बहादुर को विधान सभा की सदस्यता से दिनांक 25 जुलाई, 2011 से निरर्ह घोषित किये जाने के फलस्वरूप।

**** मा0 अध्यक्ष, विधान सभा के आदेश दिनांक 13 अक्टूबर, 2011 द्वारा ''भारत का संविधान'' की दसवीं अनुसूची के पैरा-2(1) (क) के अन्तर्गत श्री श्रीभगवान शर्मा को विधान सभा की सदस्यता से दिनांक 6 अगस्त, 2011 से निरर्ह घोषित किये जाने के फलस्वरूप।

***** मा0 अध्यक्ष, विधान सभा के आदेश दिनांक 17 अक्टूबर, 2011 द्वारा ''भारत का संविधान'' की दसवीं अनुसूची के पैरा-2(1) (क) के अन्तर्गत श्री कृष्ण कुमार सिंह उर्फ सतीश वर्मा को विधान सभा की सदस्यता से दिनांक 03 अगस्त, 2011 से निरर्ह घोषित किये जाने के फलस्वरूप।

****** निर्वाचन क्षेत्र संख्या-24-बिसौली (जनपद बदायूं) से निर्वाचित मा0 सदस्य श्रीमती उमलेश यादव को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अन्तर्गत किये गये विनिश्चय, दिनांक 20 अक्टूबर, 2011 से तीन वर्षों के लिये निरर्हित किये जाने के फलस्वरूप।

******* मा0 अध्यक्ष, विधान सभा के आदेश दिनांक 19 नवम्बर, 2011 द्वारा ''भारत का संविधान'' की दसवीं अनुसूची के पैरा-2(1) (क) के अन्तर्गत श्री जितेन्द्र कुमार बब्लू भइया को विधान सभा की सदस्यता से दिनांक 27 सितम्बर,, 2011 से निरर्ह घोषित किये जाने के फलस्वरूप।

******** मा0 अध्यक्ष, विधान सभा के आदेश दिनांक 19 नवम्बर, 2011 द्वारा ''भारत का संविधान'' की दसवीं अनुसूची के पैरा-2(1) (क) के अन्तर्गत श्री दशरथ प्रसाद चौहान को विधान सभा की सदस्यता से दिनांक 12 अक्टूबर, 2011 से निरर्ह घोषित किये जाने के फलस्वरूप।

महामहिम राज्यपाल
श्री बी0 एल0 जोशी

मंत्रि-परिषद्

क्रमांक	नाम	कार्य विभाग (पोर्टफोलियो)
1	2	3
1	कुमारी मायावती मुख्य मंत्री	सामान्य प्रशासन, सचिवालय प्रशासन, गृह, गोपन, सतर्कता, नियुक्ति, कार्मिक, न्याय, विधायी, नियोजन, प्रोटोकाल, नागरिक उड्डयन, राज्य सम्पत्ति, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय, राजनैतिक पेंशन, भाषा, सूचना, वाह्य सहायतित परियोजना, नागरिक सुरक्षा, औद्योगिक विकास, प्रशासनिक सुधार, कार्यक्रम कार्यान्वयन, राष्ट्रीय एकीकरण, खाद्य प्रसंस्करण, विकलांग कल्याण, धर्मार्थ कार्य, मुस्लिम वक्फ, इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, समन्वय, सार्वजनिक उद्यम, महिला कल्याण, कारागार प्रशासन एवं सुधार, सैनिक कल्याण, खाद्य एवं औषधि प्रशासन तथा अवस्थापना विकास विभाग।
2	श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी	आबकारी, लोक निर्माण, सिंचाई [सिंचाई (यांत्रिक) को छोड़कर], आवास एवं शहरी नियोजन, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, परिवार कल्याण, सहकारिता, पशुधन एवं दुग्ध विकास तथा माध्यमिक शिक्षा।
3	श्री रामवीर उपाध्याय	ऊर्जा
4	श्री लालजी वर्मा	संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष (होम्योपैथिक चिकित्सा को छोड़कर), संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन।
5	श्री इन्द्रजीत सरोज	समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार, कृषि विपणन, भू-तत्व एवं खनिकर्म तथा श्रम।
6	श्री ठाकुर जयवीर सिंह	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात।
7	श्री वेद राम भाटी	होमगार्ड्स एवं प्रान्तीय रक्षा दल
8	श्री लक्ष्मी नारायण	कृषि (कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात तथा कृषि विपणन को छोड़कर)।
9	श्री राकेश धर त्रिपाठी	उच्च शिक्षा

1	2	3
10	श्री जगदीश नारायण राय	वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग तथा व्यावसायिक शिक्षा।
11	श्री फागू चौहान	राजस्व
12	श्री नकुल दुबे	नगर विकास (नगरीय विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को छोड़कर), पर्यावरण, शहरी समग्र विकास, कर एवं निबन्धन (संस्थागत वित्त, स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क को छोड़कर) तथा मनोरंजन कर।
13	श्री दद्दू प्रसाद	ग्राम्य विकास
14	श्री नरायन सिंह	उद्यान
15	श्री राम प्रसाद चौधरी	खाद्य एवं रसद (उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप को छोड़कर)।
16	डा0 धर्म सिंह सैनी	बेसिक शिक्षा
17	श्री राम अचल राजभर	परिवहन
18	श्री अब्दुल मन्नान	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
19	श्री नन्द गोपाल गुप्ता ''नन्दी''	होम्योपैथिक चिकित्सा
20	श्री चन्द्रदेव राम यादव	लघु उद्योग
21	श्री फतेह बहादुर	वन, जन्तु उद्यान
22	श्री रामहेत भारती	निर्वाचन, उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप।
23	श्री राजपाल त्यागी	कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान
24	श्री सुभाष पाण्डेय	संस्कृति
25	श्री धर्मराज निषाद	मत्स्य
26	श्री स्वामी प्रसाद मौर्य	पंचायती राज तथा भूमि विकास एवं जल संसाधन विकास।
		राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
1	श्री अनीस अहमद खाँ	अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज
2	श्री अयोध्या प्रसाद पाल	खेलकूद एवं युवा कल्याण
3	श्रीमती ओमवती	खादी एवं ग्रामोद्योग
4	श्री विनोद सिंह	पर्यटन
5	श्री लखीराम नागर	लघु सिंचाई
6	श्री अवधेश कुमार वर्मा	पिछड़ा वर्ग कल्याण
7	श्री रामपाल वर्मा	परती भूमि विकास

1	2	3
8	श्री अकबर हुसैन	अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत
9	श्री सदल प्रसाद	प्राविधिक शिक्षा
10	डा0 यशवंत सिंह	नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम
11	श्री रतन लाल अहिरवार	डा0 अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास
12	श्री भगवती प्रसाद सागर	सेवायोजन (व्यावसायिक शिक्षा के अधीन विभागों को छोड़कर)।
13	श्री जयवीर सिंह	सिंचाई (यांत्रिक)

राज्य मंत्री

क्रमांक	नाम	कार्य विभाग (पोर्टफोलियो)
1	2	3
1	श्री संग्राम सिंह	वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग
2	श्री योगराज सिंह	कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान
3	श्री शहजिल इस्लाम अंसारी	मुस्लिम वक्फ
4	श्री दद्दन मिश्रा	आयुर्वेदिक चिकित्सा
5	श्री हरिओम	होमगार्ड्स एवं प्रान्तीय रक्षा दल
6	श्री यशपाल सिंह	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

नेता, विरोधी दल

श्री शिवपाल सिंह यादव

उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी

तथा

अधिष्ठाता मण्डल

अध्यक्ष

श्री सुखदेव राजभर

उपाध्यक्ष

रिक्त

प्रमुख सचिव

श्री प्रदीप कुमार दुबे

अधिष्ठाता मण्डल

1-श्री भगेलू राम, सदस्य, विधान सभा (सुल्तानपुर),

2-श्री मोहम्मद इरशाद खान, सदस्य, विधान सभा (लखनऊ),

3-श्री ओम प्रकाश सिंह (ओ0पी0 सिंह), सदस्य, विधान सभा (सुल्तानपुर),

4-श्री बृजेश सौरभ, सदस्य, विधान सभा (प्रतापगढ़),

5-श्री त्रिभुवन दत्त, सदस्य, विधान सभा (अम्बेडकरनगर),

6-श्री अवधेश प्रसाद, सदस्य, विधान सभा (फैजाबाद),

7-डा0 पी0 के0 राय, सदस्य, विधान सभा (कुशीनगर),

8-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा (गोरखपुर),

9-श्री प्रदीप माथुर, सदस्य, विधान सभा (मथुरा),

10-रिक्त।

उत्तर प्रदेश विधान सभा
पन्द्रहवीं विधान सभा

सोमवार, दिनांक 21 नवम्बर,, 2011

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री सुखदेव राजभर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-360

1. अंगद यादव, श्री आजमगढ़
2. अकबर हुसैन, श्री मुरादाबाद
3. अकीलुर्रहमान खाँ, श्री मुरादाबाद
4. अजय कपूर, श्री कानपुर नगर
5. अजय तोमर, डा0 बागपत
6. अजय यादव, श्री एटा
7. अजय राय, श्री वाराणसी
8. अजय सिंह, श्री जालौन
9. अनन्त कुमार मिश्रा, श्री फर्रुखाबाद
10. अनिल कुमार, श्री बुलन्दशहर
11. अनिल कुमार, श्री मुजफ्फरनगर
12. अनिल कुमार अहिरवार, श्री महोबा
13. अनिल कुमार दोहरे, श्री कन्नौज
14. अनिल कुमार मौर्य, श्री मिर्जापुर
15. अनिल चौधरी, डा0 हाथरस (महामायानगर)
16. अनीस अहमद खाँ उर्फ फूलबाबू, श्री पीलीभीत
17. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री इलाहाबाद
18. अनूप कुमार गुप्ता, श्री सीतापुर
19. अनूप सण्डा, श्री सुल्तानपुर
20. अब्दुल मन्नान, श्री हरदोई
21. अब्दुल वारिस खाँ, श्री मुजफ्फरनगर
22. अब्दुल समद अंसारी, हाजी वाराणसी
23. अब्बास अली जैदी उर्फ रूश्दी मियां, श्री फैजाबाद
24. अमरेश कुमार शुक्ल, श्री बाराबंकी
25. अमित गौरव, श्री एटा
26. अमेरिका प्रधान, श्री गाजीपुर
27. अम्बिका चौधरी, श्री बलिया
28. अम्बिका सिंह, श्री गोरखपुर
29. अयोध्या प्रसाद पाल, श्री फतेहपुर
30. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री बाराबंकी
31. अरविन्द सिंह यादव, श्री कन्नौज
32. अरशद खान, श्री पीलीभीत
33. अरुणा तोमर, श्रीमती कानपुर नगर
34. अलाउद्दीन, श्री बलरामपुर
35. अलीम हाजी, श्री बुलन्दशहर
36. अवधेश प्रसाद, श्री फैजाबाद
37. अवधेश वर्मा, श्री शाहजहाँपुर
38. अवनीन्द्र नाथ द्विवेदी उर्फ महन्त दूबे, श्री महराजगंज
39. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री लखीमपुर खीरी
40. अशोक कंसल, श्री मुजफ्फरनगर
41. अशोक कुमार दोहरे, श्री औरैया
42. अशोक कुमार राणा, श्री बिजनौर
43. अशोक कुमार सिंह, श्री रायबरेली
44. अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री हमीरपुर
45. अशोक सिंह चौहान, श्री मैनपुरी
46. आदित्य पाण्डेय, श्री फतेहपुर
47. आनन्द कुमार उर्फ कलेक्टर पाण्डेय, श्री इलाहाबाद
48. आर0 ए0 उस्मानी, (डा0) श्री लखीमपुर खीरी
49. आर0 के0 शर्मा, पंडित बरेली
50. आरिफ अनवर हाशमी, श्री गोण्डा
51. आलोक कुमार शाक्य, श्री मैनपुरी

52. आसिफ, श्री हरदोई
53. इकबाल महमूद, श्री मुरादाबाद
54. इन्द्रजीत सरोज, श्री कौशाम्बी
55. इमरान महसूद, श्री सहारनपुर
56. इरफान सोलंकी, श्री कानपुर नगर
57. ईश्वर चन्द्र शुक्ल, श्री सिद्धार्थनगर
58. उत्कर्ष वर्मा 'मधुर', श्री लखीमपुर खीरी
59. उदयभान करवरिया, श्री इलाहाबाद
60. उदयराज, श्री उन्नाव
61. उदयलाल मौर्य, श्री वाराणसी
62. उमेश पाण्डेय, श्री मऊ
63. ओम प्रकाश सिंह, श्री मिर्जापुर
64. ओम प्रकाश सिंह (ओ0पी0सिंह), श्री सुल्तानपुर
65. ओमवती देवी, श्रीमती बिजनौर
66. कमलेश चन्द दिवाकर, श्री कानपुर देहात
67. काजिम अली खाँ उर्फ नवेद मियां, नवाब रामपुर
68. कामेश्वर उपाध्याय, श्री देवरिया
69. कालीचरन राजभर, श्री गाजीपुर
70. काशीराम, श्री रामपुर
71. कुवेर सिंह, श्री एटा
72. कुलदीप सिंह गंगवार, श्री फर्रूखाबाद
73. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
74. कृपा शंकर सिंह, श्री उन्नाव
75. कृष्ण कुमार, श्री बहराइच
76. कृष्ण गोपाल पटेल, श्री लखीमपुर खीरी
77. कृष्णाराज, श्रीमती लखीमपुर खीरी
78. के0 के0 सचान, डा0 जौनपुर
79. केदारनाथ वर्मा, श्री बलिया
80. कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
81. कैलाश साहू, श्री झांसी
82. कैलाश सिंह राजपूत, श्री कन्नौज
83. कौकब हमीद खाँ, श्री बागपत
84. कौशलेन्द्र नाथ योगी, महंत बलरामपुर
85. खातून तौफीक, श्रीमती सिद्धार्थनगर
86. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
87. गिरीश चन्द्र, श्री मुरादाबाद
88. गुटियारी लाल दुबेश, श्री आगरा
89. गुरू प्रसाद मौर्य, श्री इलाहाबाद
90. गेंदा लाल चौधरी, श्री हाथरस (महामायानगर)
91. घूराराम, श्री बलिया
92. चन्द्रदेव, श्री आजमगढ़
93. चन्द्र प्रकाश मिश्र ''मटियारी'', श्री सुल्तानपुर
94. चन्द्रभद्र सिंह, श्री सुल्तानपुर
95. चन्द्रवीर सिंह, श्री मेरठ
96. चौधरी रविन्द्र प्रताप, श्री सिद्धार्थनगर
97. छत्रपाल सिंह, श्री बरेली
98. छोटे सिंह, श्री जालौन
99. जगदीश नारायण राय, श्री जौनपुर
100. जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
101. जगपाल, श्री सहारनपुर
102. जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री महराजगंज
103. जमीरउल्ला, श्री अलीगढ़
104. जयवीर सिंह, श्री मैनपुरी
105. जयवीर सिंह, ठाकुर अलीगढ़
106. जसवन्त सिंह उर्फ अतुल सिंह, श्री कुशीनगर
107. जावेद अंसारी एडवोकेट, श्री जौनपुर
108. जितेन्द्र कुमार एडवोकेट, श्री चन्दौली
109. जितेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री बस्ती
110. जुल्फिकार अहमद भुट्टो, श्री आगरा
111. जोखू लाल यादव, श्री इलाहाबाद
112. ज्योत्सना श्रीवास्तव, डा0 वाराणसी
113. ताहिर हुसैन सिद्दीकी, श्री फर्रूखाबाद
114. त्रिभुवन दत्त, श्री अम्बेडकरनगर
115. दद्दन मिश्रा, श्री श्रावस्ती
116. दद्दू प्रसाद, श्री चित्रकूट
117. दयाराम, श्री कौशाम्बी
118. दाउद अहमद, श्री हरदोई
119. दिनेश प्रसाद, श्री चित्रकूट
120. दीनानाथ कुशवाहा, श्री देवरिया
121. दीनानाथ पाण्डेय, श्री वाराणसी

122. दीपक कुमार, श्री उन्नाव
123. दीप नारायण सिंह दीपक यादव, श्री झाँसी
124. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
125. धर्मपाल, श्री गाजियाबाद
126. धर्मपाल यादव
डी0पी0 यादव, श्री बदायूँ
127. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
128. धर्मराज निषाद, श्री अम्बेडकरनगर
129. धर्म सिंह सैनी, डा0 सहारनपुर
130. धर्मी रावत, श्रीमती बाराबंकी
131. धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री बरेली
132. धीरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री बलरामपुर
133. धीरेन्द्र प्रसाद, श्री शाहजहांपुर
134. धू राम लोधी चौधरी, श्री हमीरपुर
135. नकुल दूबे, श्री लखनऊ
136. नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी', श्री इलाहाबाद
137. नन्दिता शुक्ला, श्रीमती गोण्डा
138. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
139. नारायण सिंह, श्री आगरा
140. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
141. निर्मल वर्मा, श्री सीतापुर
142. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री शाहजहाँपुर
143. पंकज कुमार मलिक, श्री मुजफ्फरनगर
144. पशुपति, श्री गाजीपुर
145. पी0 के0 राय, डा0 कुशीनगर
146. पूजा पाल, श्रीमती इलाहाबाद
147. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
148. प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती कानपुर देहात
149. प्रदीप कुमार उर्फ गुड्डू, श्री बदायूं
150. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
151. प्रमोद तिवारी, श्री प्रतापगढ़
152. प्रमोद सिंह, श्री देवरिया
153. प्रवीण पटेल, श्री इलाहाबाद
154. प्रेमलता कटियार, श्रीमती कानपुर नगर
155. फतेह बहादुर, श्री महराजगंज
156. फरहत हसन, श्री ज्योतिबाफूलेनगर
157. फसीहा बशीर चौधरी
(गजाला लारी),श्रीमती देवरिया
158. फागू चौहान, श्री मऊ
159. बलबीर, श्री मुजफ्फरनगर
160. बलराम सिंह सैनी, श्री मुरादाबाद
161. बासुदेव सिंह ''बाबा'', श्री बुलन्दशहर
162. बिमलेश सिंह, श्रीमती अलीगढ़
163. बिरजू राम, श्री जौनपुर
164. बृजेश सौरभ, श्री प्रतापगढ़
165. बैजनाथ दूबे, श्री गोण्डा
166. ब्रम्हाशंकर त्रिपाठी, श्री देवरिया
167. भगवत शरण गंगवार, श्री बरेली
168. भगवती प्रसाद सागर, श्री झाँसी
169. भगवान दास, श्री सन्तकबीरनगर
170. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
171. भगेलू राम, श्री सुल्तानपुर
172. भीमराव अम्बेडकर एडवोकेट, श्री इटावा
173. भोला पासवान, श्री आजमगढ़
174. मंजू, श्रीमती बलिया
175. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
176. मदन भैया उर्फ मदन गोपाल, श्री बागपत
177. मधुबाला, श्रीमतीसंत रविदासनगर (भदोही)
178. मधुसूदन शर्मा, श्री आगरा
179. मनोज चौधरी, श्री सहारनपुर
180. ममतेश शाक्य, श्री एटा
181. मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री रायबरेली
182. महबूब अली, श्री ज्योतिबाफूलेनगर
183. महिपाल सिंह, श्री सहारनपुर
184. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ
झीन बाबू, श्री सीतापुर

185. महेन्द्र सिंह, श्री अलीगढ़
186. महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री इटावा
187. महेश चन्द्र वर्मा, डा0 औरैया
188. महेश चन्द्र गुप्ता, श्री बदायूँ
189. महेश त्रिवेदी, श्री कानपुर देहात
190. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
191. माधव पासवान, श्री गोरखपुर
192. मिथलेश कटियार, श्रीमती कानपुर देहात
193. मिथिलेश पाल, श्रीमती मुजफ्फरनगर
194. मीता गौतम, कु0 बाराबंकी
195. मुरलीधर, श्री फतेहपुर
196. मुस्लिम खाँ, श्री बदायूँ
197. मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
198. मोहम्मद इकबाल, श्री बिजनौर
199. मोहम्मद इरशाद खान, श्री लखनऊ
200. मोहम्मद गाजी, श्री बिजनौर
201. मोहम्मद जलील खान, श्री गोण्डा
202. मोहम्मद जासमीर अंसारी, श्री सीतापुर
203. मोहम्मद ताबिश खां, श्री सन्तकबीरनगर
204. मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री इलाहाबाद
205. यशपाल सिंह, श्री बिजनौर
206. यशपाल सिंह चौहान, श्री अलीगढ़
207. यशवन्त सिंह, डा0 मुजफ्फरनगर
208. यसपाल सिंह रावत, श्री गोरखपुर
209. योगराज सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
210. रघुनाथ प्रसाद संखवार, डा0 कानपुर देहात
211. रघुराज प्रताप सिंह ''राजा भइया'', कुं0 प्रतापगढ़
212. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
213. रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भइया, श्री फतेहपुर
214. रतनलाल अहिरवार, श्री झाँसी
215. रमेश गौतम, श्री गोण्डा
216. रमेश चन्द्र विन्द, डा0 मिर्जापुर
217. रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
218. रवीन्द्र कुमार (मोल्हू), श्री सहारनपुर
219. राकेश कुमार गोस्वामी, श्री महोबा
220. राकेश धर त्रिपाठी, डा0 इलाहाबाद
221. राकेश बाबू, श्री फिरोजाबाद
222. राघव लखन पाल शर्मा, श्री सहारनपुर
223. राजकिशोर सिंह, श्री बस्ती
224. राजकुमार रावत, श्री मथुरा
225. राजकुमार सिंह गौतम, डा0 गाजीपुर
226. राजदेव सिंह, श्री जौनपुर
227. राजपाल त्यागी, श्री गाजियाबाद
228. राजपाल सिंह, श्री गाजियाबाद
229. राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
230. राजमती निषाद, श्रीमती गोरखपुर
231. राजाराम कोरी उर्फ त्यागी, श्री रायबरेली
232. राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
233. राजेन्द्र कुमार, श्री मऊ
234. राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री प्रतापगढ़
235. राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
236. राजेन्द्र सिंह, डा0 आगरा
237. राजेन्द्र सिंह उर्फ पहलवान सिंह, श्री गोरखपुर
238. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
239. राजेश कुमार, श्री लखीमपुर खीरी
240. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
241. राजेश यादव, श्री शाहजहाँपुर
242. राजेश्वरी, श्रीमती हरदोई
243. राधामोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर
244. राधे लाल रावत, श्री उन्नाव
245. राधे श्याम गुप्ता, श्री फतेहपुर

246. राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
247. राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकरनगर
248. राम कुमार तिवारी, पण्डित ललितपुर
249. रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
250. रामपाल वर्मा, श्री हरदोई
251. राम प्रकाश कुशवाहा, पी0एच0डी0, डा0 कानपुर नगर
252. राम प्रकाश यादव, श्री फिरोजाबाद
253. राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
254. राम प्रसाद जायसवाल, श्री देवरिया
255. राम बिशुन आजाद, श्री गोण्डा
256. रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
257. राम शिरोमणि शुक्ल, श्री प्रतापगढ़
258. राम सागर अकेला, श्री श्रावस्ती
259. रामसेवक, श्री सुल्तानपुर
260. राम सेवक सिंह पटेल, श्री बदायूँ
261. रामस्वरूप सिंह, श्री कानपुर देहात
262. रामहेत भारती, श्री सीतापुर
263. रिजवान अहमद खाँ, श्री ज्योतिबाफूलेनगर
264. रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
265. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहाँपुर
266. लक्ष्मी नारायण, श्री मथुरा
267. लखीराम नागर, श्री मेरठ
268. लल्लू सिंह, श्री फैजाबाद
269. लाल जी यादव, श्री सिद्धार्थनगर
270. लाल जी वर्मा, श्री अम्बेडकरनगर
271. वकार अहमद शाह, डा0 बहराइच
272. वाचस्पति, श्री कौशाम्बी
273. वारिस अली, श्री बहराइच
274. विजय कुमार, श्री गाजीपुर
275. विजय कुमार उर्फ विजय यादव, श्री मुरादाबाद
276. विजय पाल सिंह, श्री बरेली
277. विजय बहादुर यादव, श्री गोरखपुर
278. विद्या चौधरी, श्रीमती आजमगढ़
279. विद्यासागर गुप्त, श्री लखनऊ
280. विनोद कुमार, श्री प्रतापगढ़
281. विनोद कुमार हरित, श्री मेरठ
282. विनोद चतुर्वेदी, श्री जालौन
283. विनोद सिंह, श्री सुल्तानपुर
284. विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री बांदा
285. विशम्भर सिंह यादव, श्री बांदा
286. विश्वनाथ, श्री कुशीनगर
287. वीरेन्द्र कुमार, श्री हरदोई
288. वीरेन्द्र सिंह, श्री बरेली
289. वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री बुलन्दशहर
290. वृज सिंह उर्फ वृज कुंवरि, श्रीमती गोण्डा
291. वेदराम भाटी, श्री बुलन्दशहर
292. शब्बीर अहमद, श्री बहराइच
293. शम्भू चौधरी, श्री कुशीनगर
294. शहजिल इस्लाम अंसारी, श्री बरेली
295. शहनवाज, श्री बिजनौर
296. शारदा प्रसाद, श्री चन्दौली
297. शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
298. शिव गणेश ''लोधी'', श्री रायबरेली
299. शिवपाल सिंह यादव, श्री इटावा
300. शिव प्रसाद यादव, श्री इटावा
301. शिवबालक पासी, श्री रायबरेली
302. शिवशंकर, श्री बलिया
303. शीशराम, श्री बिजनौर
304. शेख नसीरुद्दीन सिद्दीकी, श्री फिरोजाबाद
305. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर
306. श्याम किशोर शुक्ला, श्री लखनऊ
307. श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री वाराणसी
308. श्याम नरायण यादव, श्री आजमगढ़

309. श्याम लाल, श्री बलरामपुर
310. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
311. श्रीपति आजाद, श्री महराजगंज
312. श्रीभगवान पाठक, श्री बलिया
313. संग्राम सिंह, श्री बाराबंकी
314. संजय कपूर, श्री रामपुर
315. संजय कुमार त्रिपाठी, श्री प्रतापगढ़
316. संजीव दरियाबादी, ''बन्टी'' श्री कानपुर नगर
317. संदीप अग्रवाल, श्री मुरादाबाद
318. संध्या, कुमारी मैनपुरी
319. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
320. सत्य नारायण जैसल, श्री सोनभद्र
321. सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ
322. सत्यवीर सिंह गुर्जर, श्री गौतमबुद्धनगर
323. सत्येन्द्र सोलंकी, चौ0 बागपत
324. सदल प्रसाद, श्री गोरखपुर
325. सनातन पाण्डेय, श्री बलिया
326. सर्वेश कुमार सिंह सीपू, श्री आजमगढ़
327. सलिल विश्नोई, श्री कानपुर नगर
328. सिद्धार्थ शंकर, डा0 लखनऊ
329. सिनोद कुमार शाक्य, श्री बदायूँ
330. सिवगतुल्लाह अंसारी, श्री गाजीपुर
331. सी0 एम0 प्रसाद, श्री सोनभद्र
332. सीमा द्विवेदी, श्रीमती जौनपुर
333. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री फतेहपुर
334. सुखदेव राजभर, श्री आजमगढ़
335. सुखलाल, श्री पीलीभीत
336. सुधीर कुमार, श्री उन्नाव
337. सुनील शर्मा, श्री गाजियाबाद
338. सुन्दर लाल लोधी, श्री उन्नाव
339. सुभाष, श्री बलिया
340. सुमन देवी कुशवाहा, श्रीमती ललितपुर
341. सुभाष पाण्डेय, श्री जौनपुर
342. सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री आजमगढ़
343. सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
344. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
345. सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री लखनऊ
346. सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री लखनऊ
347. सुरेश तिवारी, श्री देवरिया
348. सुरेश्वर सिंह, श्री बहराइच
349. सुल्तान बेग, श्री बरेली
350. सुशील कुमार, श्री चन्दौली
351. सूरजपाल सिंह ठाकुर, श्री आगरा
352. सूरज सिंह शाक्य, श्री एटा
353. सूर्यभान, श्री मिर्जापुर
354. सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती गाजीपुर
355. सोबरन सिंह, श्री मैनपुरी
356. हरगोविन्द भार्गव, डा0 सीतापुर
357. हरपाल सिंह, श्री मुरादाबाद
358. हसरत उल्ला, श्री एटा
359. हुकुम सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
360. होराम सिंह, श्री गौतमबुद्धनगर

नोट :- मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती) एवं आबकारी, लोक निर्माण, सिंचाई, आवास एवं शहरी नियोजन, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, परिवार कल्याण तथा सहकारिता, पशुधन एवं दुग्ध विकास तथा माध्यमिक शिक्षा मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी) भी सदन में उपस्थित थे।

राष्ट्रीय-गीत

श्री अध्यक्ष-

अब हम सब खड़े होकर 'वन्दे मातरम्' का गायन करेंगे।

'वन्दे मातरम्'

वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्।।
सुजलाम्।
सुफलाम्।
मलयज शीतलाम्।
शस्य श्यामलाम्।
मातरम्। वन्दे मातरम्।।
शुभ्र-ज्योत्सना-पुलकित-यामिनीम्
फुल्ल-कुसुमित-द्रुमदल-शोभिनीम्
सुहासिनीम्
सुमधुर भाषिणीम्
सुखदाम्
वरदाम्
मातरम्। वन्दे मातरम्।।

श्री अध्यक्ष-

कृपया आसन ग्रहण करें।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

नत्थी (ख) अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या-1, श्री सतीश महाना जी।

प्रदेश में मंहगाई से राहत हेतु डीजल एवं पेट्रोल के करों की दरों को क्रय किये जाने की मांग

**1-श्री सतीश महाना-

क्या कर एवं निबन्धन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डीजल एवं पेट्रोल की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि होने के कारण सभी आवश्यक वस्तुएं अत्यधिक महंगी हो गयी हैं ? यदि हां, तो प्रदेश की जनता को राहत देने हेतु क्या सरकार उक्त पदार्थों पर लगे राज्य स्तर के कर जैसे ट्रेड टैक्स, वैट एवं सरचार्ज को समाप्त करने या करों की दरों में कमी करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नगर विकास, पर्यावरण, शहरी समग्र विकास, कर एवं निबन्धन तथा मनोरंजन कर मंत्री (श्री नकुल दुबे)-

डीजल एवं पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि भारत सरकार/आयल कम्पनियों द्वारा इनके बेसिक मूल्यों में की गयी वृद्धि के कारण है। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 29-1-2009 के पश्चात इन वस्तुओं पर कर की दर में कोई वृद्धि नहीं की गयी है।

वर्तमान में डीजल एवं पेट्रोल पर सरचार्ज व अतिरिक्त कर नहीं है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश की जनता को राहत देने के लिये व्यापार कर व्यवस्था की तुलना में वैट व्यवस्था में डीजल पर कर की दर में कमी की गयी है।

प्रदेश की वित्तीय आवश्यकता एवं जनहित को ध्यान में रखते हुए युक्तिसंगत रूप से कर की दरें निर्धारित की जाती है।

सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव सर्वप्रथम लिये जाने की मांग

श्री अम्बिका चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, यह सरकार प्रत्येक मोर्चे पर विफल है, यह सरकार भ्रष्टाचारी है, अत्याचारी है। ....

नेता, विरोधी दल (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

मा0 अध्यक्ष जी, यह सरकार अल्पमत में है....

(समाजवादी पार्टी के सदस्य अपने-अपने आसन पर खड़े होकर भ्रष्टाचारी, लुटेरी सरकार को बर्खास्त करो, अल्पमत की सरकार इस्तीफा दो, अत्याचारी सरकार को बर्खास्त करो, बलात्कारी सरकार को बर्खास्त करो के नारे लिखे बैनर दिखाने व नारे लगाने लगे।)

(इसी बीच डा0 राधामोहन दास अग्रवाल, श्री सतीश महाना, श्री सुरेश्वर सिंह, श्री विद्यासागर गुप्ता, श्री सुरेश कुमार खन्ना सहित भारतीय जनता पार्टी के अनेक सदस्य सदन की वेल में आ गये और वेल से अपनी बात कहने लगे इससे सदन में घोर व्यवधान/शोर उत्पन्न हो गया)

(घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

यह सरकार प्रदेश का विश्वास खो चुकी है, इसको सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं है ...

(श्री अखिलेश कुमार सिंह, मुस्लिम, अति दलित, अति पिछड़ा आरक्षण लागू करने में असफल सरकार के इस्तीफे का पीस पार्टी का बैनर लेकर सदन के वेल में आ गये)

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, अल्पमत की सरकार को किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है, अधिकांश विधायक सरकार का साथ छोड़ चुके हैं, सरकार के मंत्री सरकार के भ्रष्टाचार की बातें बता रहे हैं, मंत्री जांच में दोषी पाये गये हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग बैठिये, मैं नियमानुसार सब देखूंगा। नियमानुसार जो होगा बातें सुनी जायेंगी। आप लोग अपने स्थानों से जाकर अपनी बात कहिये। महाना साहब अपने स्थान पर जाकर अपनी बात कहिये, आपकी बातें नियमानुसार सुनी जायेंगी।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, यह सरकार अल्पमत में है, भ्रष्टाचारी है इसलिए इसे यहां बैठने का अधिकार नहीं है। ....

*संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, इन लोगों को नियम-कानून से कोई लेना-देना नहीं है, ये घबड़ाये हुए हैं। यह दिखायी पड़ रहा है कि हमारा बहुमत है और दो तिहाई के लगभग बहुमत है इसलिए खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे की कहावत चरितार्थ कर रहे हैं। इनके पास कोई शक्ति नहीं है, कोई अवसर नहीं है खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे की कहावत चरितार्थ कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

नेता प्रतिपक्ष जी बैठें, नियमानुसार आपकी बातें सुनी जायेगी, जो नियम होगा उसके आधार पर आगे आपकी बातें सुनी जायेंगी, आप लोग बैठ जायं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इनके पास कहने के लिए कुछ है ही नहीं, जब नहीं है तो नियम-कानून से मतलब क्या ? इन लोगों ने कभी लोकतंत्र का सम्मान किया ही नहीं है।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

अध्यक्ष जी, यह अल्पमत की सरकार है और इसके अधिकांश विधायक सरकार का साथ छोड़ चुके हैं इसलिए सारी कार्यवाही रोककर पहले विश्वास मत पर चर्चा करायें। ....

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यगण, अपना स्थान ग्रहण कर लें। नियमानुसार जो होगा उसको सुना जायेगा। अग्रवाल साहब, आप बैठ जायें। मा0 नेता प्रतिपक्ष जी, आप सबको बैठा लें, यह तरीका नहीं है अपनी बात कहने का। ....

(घोर व्यवधान के मध्य)

कृपया आप लोग अपना-अपना स्थान ग्रहण कर लें। नियमानुसार जो होगा उसे सुना जायेगा।

(वेल से)

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

यह सरकार अपना बहुमत खो चुकी है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

यह सरकार अल्पमत की है। इसलिए पहले विश्वास मत पर चर्चा कराएं।

श्री अध्यक्ष-

यह तरीका ठीक नहीं है। पहले प्रश्नकाल होने दीजिए उसके बाद आगे का बिजनेस है। लेखानुदान पेश होना है। प्रदेश के हित में उसमें सहयोग करिए। नेता प्रतिपक्ष जी सबको बिठा लीजिए। आप लोग सुनाना नहीं चाहते हैं हम तो सुनने के लिए तैयार हैं।

(सदन में उपस्थित विपक्ष के अनेक सदस्य 'अत्याचारी सरकार बर्खास्त करो, अल्पमत की सरकार इस्तीफा दो, बलात्कारी सरकार बर्खास्त करो के लिखे हुए वैनर लहराते रहे)

श्री सतीश महाना-

इस सरकार को काम करने का अधिकार नहीं है। यह सरकार अल्पमत में है।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग मेरे बार-बार कहने के बावजूद अपने-अपने आसन पर नहीं जा रहे हैं इसलिए मैं सदन को 12.20 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं।

(घोर व्यवधान के कारण 11 बजकर 04 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 12 बजकर 20 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी)

प्रश्नोत्तर (क्रमागत)

प्रदेश में कर्मचारियों के नगदीकरण की सुविधा बहाल किये जाने की मांग

**2-श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कर्मचारियों को पूर्व में दिये जाने वाले अवकाश नगदीकरण की सुविधा बन्द कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार अवकाश नगदीकरण की सुविधा को पुनः बहाल करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

जी नहीं। शासनादेश संख्या-सा-4-251/दस-2000-200-88, दिनांक 13 अप्रैल, 2000 द्वारा उक्त सुविधा अग्रेतर आदेशों तक स्थगित की गयी है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश शासन की वित्तीय स्थिति एवं विकास सम्बन्धी अन्य प्रतिबद्धताओं को देखते हुए यह संभव नहीं है।

नोट :-उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-41 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये।

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में विधायक निधि से गरीबों के इलाज हेतु धनराशि आवंटित करने सम्बन्धी जानकारी

*1-श्री विद्या सागर गुप्ता

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार कैंसर, गुर्दा, रोग आदि गम्भीर रोगों से ग्रसित गरीब लोगों के इलाज हेतु प्रदेश में विधायक निधि से 20 प्रतिशत धनराशि आवंटित करने का प्राविधान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री दद्दू प्रसाद)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति, संतुलित विकास एवं जनता के विभिन्न कार्यों की तात्कालिक विकास सम्बन्धी मांग की पूर्ति हेतु विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना (विधायक निधि) लागू की गयी जिसके अन्तर्गत कराये जा सकने वाले कार्यों में बीमारी से इलाज हेतु धनराशि स्वीकृत किये जाने का प्राविधान नहीं है।

प्रदेश में अवर अभियन्ताओं की भांति सचिवालय के समीक्षा अधिकारियों को ग्रेड-पे दिये जाने की मांग

*2-चौ0 रवीन्द्र प्रताप-

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय सेवा में प्रदेश सचिवालय को विशेष दर्जा प्राप्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार यह भी बतायेगी कि प्रदेश के अवर अभियन्ताओं को द्वितीय ए0सी0पी0 में रु0 5400/-का ग्रेड पे दे दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार सचिवालय के समीक्षा अधिकारियों को भी द्वितीय ए0सी0पी0 में रु0 4800/-ग्रेड पे के स्थान पर रु0 5400/-का ग्रेड पे दिये जाने हेतु शासनादेश जारी करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी वर्मा-

जी हां।

जी हां।

जी नहीं।

प्रदेश के अभियंत्रण विभागों सहित अन्य विभागों के ऐसे अवर अभियन्ता जिनके लिये समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत प्रथम/द्वितीय पदोन्नतीय वेतनमान के रूप में सहायक अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता के पद का वेतनमान वैयक्तिक के रूप से अनुमन्य कराये जाने की व्यवस्था थी।

समयमान वेतनमान की उपर्युक्त व्यवस्था को दिनांक 30 नवम्बर, 2008 तक प्रभावी रखा गया है। अवर अभियन्ता संवर्ग के ऐसे पदधारक जिन्हें पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत 24 वर्ष की सेवा पर अधिशासी अभियन्ता पद का ग्रेड वेतन रु0 6600/-अनुमन्य हो चुका था, उन्हें ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अन्तर्गत 26 वर्ष की सेवा पर ग्रेड वेतन रु0 7600/-अनुमन्य होगा अथवा हो चुका है। ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अन्तर्गत अवर अभियन्ता संवर्ग के पदों पर 10, 18 एवं 26 वर्ष की सेवा

पर प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अगला ग्रेड वेतन क्रमशः रु0 4600/-, रु0 4800- तथा 5400/-होने की स्थिति है। इस प्रकार ए0सी0पी0 की सामान्य व्यवस्था लागू होने के फलस्वरूप अवर अभियन्ता संवर्ग के पदों पर पूर्व व्यवस्था की तुलना में काफी हानि की स्थिति के दृष्टिगत शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-796/दस-62 (एम)/2008 टी0सी0, दिनांक 31 मई, 2011 द्वारा अवर अभियन्ता संवर्ग के सम्बन्ध में ए0सी0पी0 की विशिष्ट व्यवस्था लागू किये जाने का निर्णय लिया गया।

उपरोक्तानुसार अवर अभियन्ता संवर्ग के सम्बन्ध में लिये गये विशिष्ट निर्णय के सादृश्य पर उ0 प्र0 सचिवालय के समीक्षा अधिकारी के पदों के लिये उक्तानुसार व्यवस्था किये जाने का औचित्य नहीं बनता है।

प्रदेश में डीजल/पेट्रोल की वैट की लागू दर को कम किये जाने की मांग

*3-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या कर एवं निबन्धन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में डीजल/पेट्रोल पर कितने प्रतिशत वैट वसूला जा रहा है ? क्या सरकार जनता/किसानों के हित में डीजल/पेट्रोल पर वैट की लागू दर को कम करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत प्रदेश में डीजल पर 17.23 प्रतिशत तथा पेट्रोल पर 26.55 प्रतिशत की दर से कर की देयता है। डीजल की पंजीकृत व्यापारी की औद्योगिक इकाई को नान-वैट माल से भिन्न करयोग्य माल के निर्माण प्रक्रिया में प्रयोग के लिए कमिश्नर द्वारा निर्धारित प्रमाण-पत्र के विरुद्ध बिक्री पर 5 प्रतिशत की दर से कर की देयता है।

राज्य सरकार द्वारा जनता/किसानों के हित में व्यापार कर व्यवस्था की तुलना में वैट व्यवस्था में डीजल पर कर की दर में कमी की गयी है।

प्रदेश में वित्तीय आवश्यकता एवं जनहित को ध्यान में रखते हुए युक्तिसंगत रूप से कर की दरें निर्धारित की जाती हैं।

अतारांकित प्रश्न

जनपद बांदा में रि-बोर हैण्डपम्प को उखाड़कर ले जाने सम्बन्धी पत्र पर कार्यवाही

1-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य विकास अधिकारी, बांदा को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 28-3-2011 जो कि रि-बोर हैण्डपम्प को उखाड़कर ले जाने के सम्बन्ध में है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां।

श्री आशाराम पाल निवासी ग्राम-चहितारा, विकास खण्ड बड़ोखर खुर्द, जनपद-बांदा के घर के सामने अधिष्ठापित इण्डिया मार्का-II रि-बोर योग्य हैण्डपम्प को ग्राम प्रधान, चहितारा एवं

श्री दयाराम पाल (भाई श्री आशाराम पाल) की लिखित सहमति के उपरान्त श्री सम्पत द्विवेदी के घर के सामने अधिष्ठापित करा दिया गया था। उक्त हैण्डपम्प जहां स्थापित था उसी के आस-पास रि-बोर होना चाहिए था, जिसके दृष्टिगत श्री आशाराम पाल के घर के सामने भी हैण्डपम्प अधिष्ठापित करा दिया गया है। दोषी ठेकेदार को कार्य से विरत कर दिया गया है और सम्बन्धित अभियन्ता को उक्त कार्यक्षेत्र से हटा दिया गया है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक मंगरौरा के ग्राम पूरब पट्टी एवं शाहपुर में नरेगा के अन्तर्गत कराये गये कार्यों एवं निर्गत धनराशि का विवरण

2-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़, ब्लाक मंगरौरा के ग्राम पूरब पट्टी एवं शाहपुर के पूर्व प्रधान द्वारा वर्ष 2008 से दिसम्बर, 10 तक नरेगा के अन्तर्गत कराये गये कार्यों एवं निर्गत धनराशि का विवरण क्या है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि नरेगा की मजदूरी हेतु कार्ड धारक मजदूरों के नाम पते क्या हैं तथा जिन मजदूरों को दर्शाया गया है, उन्हें मजदूरी प्राप्त करायी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

ग्राम पंचायत पूरब पट्टी एवं शाहपुर में प्रश्नगत अवधि में महात्मा गांधी नरेगा के अन्तर्गत कराये गये कार्यों एवं निर्गत धनराशि का विवरण संलग्न है।

सूची संलग्न† है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर की तहसील निघासन में पेयजल हेतु हैण्डपम्प अधिष्ठापन सम्बन्धी आवेदन-पत्रों के निस्तारण के सम्बन्ध में जानकारी

3-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील निघासन में दिनांक 01-01-2009 से 31 मार्च, 2011 तक कितने आवेदकों द्वारा पेयजल हेतु इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प लगाने हेतु आवेदन-पत्र दिये गये हैं ? इनमें से कितने हैण्डपम्प लगाये जा चुके हैं तथा कितने अवशेष हैं ? अवशेष हैण्डपम्प कब तक लगवा दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील निघासन में दिनांक 01-01-2009 से 31 मार्च, 2011 तक 59 आवेदकों द्वारा पेयजल हेतु 192 नग इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्प लगाये जाने हेतु आवेदन किया गया है।

---

† (छापी नहीं गयी)

प्राप्त प्रस्तावों में से 130 नग इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्प मानक के अनुसार अधिष्ठापन योग्य पाये गये थे, जिनमें से 75 नग हैण्डपम्प अधिष्ठापित किये जा चुके हैं तथा 55 नग हैण्डपम्प अधिष्ठापित किये जाने अवशेष हैं।

वर्ष 2011-12 की पेयजल नीति के अनुसार सर्वप्रथम असेवित बस्तियों में हैण्डपम्प अधिष्ठापन की कार्यवाही की जा रही है। असेवित बस्तियों में हैण्डपम्प अधिष्ठापन की कार्यवाही सम्पन्न होने के पश्चात अवशेष 55 नग हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन की कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में पेयजल हेतु कार्य योजना के विवरण सम्बन्धी जानकारी

4-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पट्टी विधान सभा क्षेत्र, जनपद प्रतापगढ़ में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सरकार ने कोई कार्य योजना बनाई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां।

भारत सरकार के गुणता प्रभावित कार्यक्रम के अन्तर्गत पट्टी विधान सभा क्षेत्र, जनपद प्रतापगढ़ की गुणता प्रभावित बस्तियों हेतु 41 नग एकल ग्राम पेयजल योजनाएं स्वीकृत की गयी जिनमें से 22 नग एकल ग्राम पेयजल योजनाओं को पूर्ण कर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है तथा 19 नग एकल ग्राम पेयजल योजनाओं पर निर्माण कार्य प्रगति पर है जिन्हें माह मार्च, 2012 तक पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है। उक्त के अतिरिक्त जिला योजना अन्तर्गत पट्टी विधान सभा क्षेत्र जनपद प्रतापगढ़ में निर्मित 6 ग्राम समूह पेयजल योजनाओं के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है तथा सैफाबाद ग्राम समूह पेयजल योजना का कार्य न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण अवरुद्ध है।

पट्टी विधान सभा में कुल 598 ग्राम है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार इन ग्रामों की जनसंख्या 5,59,320 है। इन ग्रामों में 31-3-2011 तक 11200 हैण्डपम्प अधिष्ठापित हैं।

वर्ष 2011-12 की कार्य योजना के अनुसार पट्टी विधान सभा में 425 नये हैण्डपम्प तथा 315 रि-बोर हैण्डपम्प का कार्य प्रस्तावित है जिसके सापेक्ष अक्टूबर, 2011 तक 300 नये हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन एवं 315 हैण्डपम्पों की रि-बोरिंग का कार्य कराया जा चुका है।

उपरोक्तानुसार।

लखनऊ नगर में छुट्टा जानवरों के मालिकों के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही

5-श्री विद्या सागर गुप्ता-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर में छुट्टा जानवरों जैसे कुत्ते, बैल, गाय एवं सुअरों के कारण आये दिन दुर्घटनायें होती रहती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उनके मालिकों के विरुद्ध कोई दण्डात्मक कार्यवाही निर्धारित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं। इस प्रकार की कोई दुर्घटना प्रकाश में नहीं आई है।

नगर निगम द्वारा प्रतिदिन छुट्टा जानवरों को पकड़ने की कार्यवाही की जाती है तथा उनके स्वामी के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ महानगर में अतिक्रमण में तोड़ी गई इमारतों के मलवे के निस्तारण सम्बन्धी जानकारी

6-श्री विद्या सागर गुप्ता-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ महानगर में अतिक्रमण को हटाने हेतु तोड़ी गयी इमारतों व दुकानों का मलबा कई वर्षों तक वहीं पड़े रहने से आवागमन बाधित रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त समस्या के निराकरण हेतु कोई नीति बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ नगर के समता मूलक चौराहे पर स्पीड ब्रेकर लगवाये जाने की मांग

7-श्री विद्या सागर गुप्ता-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर स्थित समता मूलक चौराहा पर आये दिन दुर्घटनायें होती रहती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त चौराहे पर आने वाली सभी सड़कों पर स्पीड ब्रेकर लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

प्रश्नगत चौराहा एवं सड़क लोक निर्माण विभाग के अधीनस्थ है जिसका अनुरक्षण एवं रख-रखाव लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

लखनऊ के जी0एच0आई0एफ0 चौराहा जानकीपुरम् में प्रकाश व्यवस्था ठीक कराये जाने की मांग

8-श्री सुखलाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सेक्टर जी0एच0आई0एफ0 चौराहा, जानकीपुरम्, लखनऊ जो कि अत्यधिक व्यस्त चौराहा है, पर कोई भी प्रकाश की व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं। उक्त संदर्भित स्थल लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा निर्मित है तथा संदर्भित स्थल की मार्ग प्रकाश व्यवस्था का दायित्व लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ का है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

लखनऊ के जी0एच0आई0एफ0 चौराहा जानकीपुरम् के पास शराब की दुकान को हटवाये जाने की मांग

9-श्री सुखलाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सेक्टर जी0एच0आई0एफ0 चौराहा, जानकीपुरम्, लखनऊ के पश्चिम-दक्षिण के कोने वाली दिशा में विगत काफी दिनों से एक अनाधिकृत शराब का ठेका चल रहा है जिससे उक्त चौराहे पर अराजक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त शराब के ठेके को हटवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

अनाधिकृत शराब के ठेकों के सम्बन्ध में कार्यवाही जिला आबकारी विभाग द्वारा की जाती है। अराजक तत्वों के सम्बन्ध में कार्यवाही पुलिस विभाग द्वारा की जाती है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा इस स्थल से शराब की दुकान को अभी हाल में हटा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलरामपुर के ग्राम-चयनपुर में अवैध कब्जा हटवाये जाने सम्बन्धी प्राप्त-पत्र पर कार्यवाही।

10-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तारक नाथ पुत्र श्री जयराम, ग्राम-चयनपुर मुबारकपुर, थाना सादुल्लानगर, जिला-बलरामपुर के प्रार्थना-पत्र पर मा0 अध्यक्ष, विधान सभा उ0 प्र0 के पत्र संख्या-3954/अ0वि0स0/11, दिनांक 04-10-2011 द्वारा अवैध रूप से किये गये कब्जे को हटवाते हुए मा0 उच्च न्यायालय के आदेश का पालन सुनिश्चित कराने हेतु जिलाधिकारी, बलरामपुर को आदेश दिये गये हैं ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)-

जी हां। परन्तु प्रार्थी श्री तारक नाथ के प्रार्थना-पत्र के साथ मा0 उच्च न्यायालय का कथित आदेश संलग्न नहीं था।

मा0 उच्च न्यायालय का आदेश उपलब्ध न कराये जाने के कारण उसके सम्बन्ध में कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता। फिर भी मौके पर ग्राम समाज की भूमि गाटा सं0-535मि0/0.069 हे0 नवीन परती व 535मि0/0.065 हे0 खलिहान की भूमि को सुरक्षित करने की कार्यवाही की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव के विकास खण्ड बीघापुर के ग्राम इन्देमऊ में खड़न्जा एवं मिट्टी के कार्य में व्यवधान डालने विषयक जिलाधिकारी को प्राप्त फैक्स पर कार्यवाही

11-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री विनोद पाण्डेय, सदस्य, विधान परिषद् का, ग्राम इन्देमऊ, विकास खण्ड बीघापुर, जनपद उन्नाव में खड़न्जा एवं मिट्टी के कार्य में व्यवधान डालने विषयक फैक्स दिनांक 25-08-2011 जिलाधिकारी, उन्नाव को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां।

प्रश्नगत फैक्स संदेश में निहित प्राइमरी विद्यालय इन्देमऊ से दलित आबादी होते हुए श्री छेदी के मकान तक मिट्टी एवं खड़न्जा मरम्मत का कार्य पूर्ण करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य नियोजन विभाग से जिलाधिकारी महामायानगर को 'क्रिटीकल गैप' हेतु आवंटित धनराशि एवं सादाबाद तहसील में व्यय की गयी धनराशि की जानकारी

12-डा0 अनिल चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य नियोजन विभाग से जिलाधिकारी, महामायानगर को 'क्रिटीकल गैप' हेतु वर्षवार 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11 तथा सितम्बर, 2011 तक कितनी-कितनी धनराशि प्राप्त हुयी ? उक्त धनराशि में से इन्हीं वर्षों में वर्षवार जनपद की सादाबाद तहसील में कितनी धनराशि व्यय की गयी ?

सुश्री मायावती-

जिलाधिकारी, महामायानगर को वर्ष 2007-08 से लेकर वर्ष 2011-12 तक क्रिटिकल गैप हेतु रु0 50 लाख प्रति वर्ष की दर से धनराशि का आवंटन हुआ।

वर्ष 2009-10 में रु0 15.74 लाख तथा वर्ष 2010-11 में रु0 18.91 लाख की धनराशि के कार्य सादाबाद तहसील के क्षेत्र में हुए हैं।

प्रदेश के जल निगम कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों का लाभ प्रदान किये जाने की मांग

13-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 में अन्य कर्मचारियों की भांति जल निगम कर्मचारियों को भी छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों का लाभ प्रदान करने, चिकित्सा भत्ता वर्तमान दर पर लागू करने, वाहन चालकों पर शासन की नियमावली लागू करने आदि की योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो उसे कब तक लागू कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

शासनादेश संख्या-454/9-3-2010-33मिस/09, दिनांक 12 मार्च, 2010 द्वारा दी गयी स्वीकृति के अनुक्रम में उ0 प्र0 जल निगम कर्मियों को दिनांक 01 जनवरी, 2006 से प्रकल्पित आधार पर आगणित करते हुए छठे वेतनमान के अनुसार पुनरीक्षित वेतनमान का वास्तविक लाभ तात्कालिक प्रभाव से अर्थात् दिनांक 12-3-2010 से अनुमन्य किया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई कार्यवाही/प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

जल निगम निदेशक मण्डल की स्वीकृति के उपरान्त जल निगम के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1545/एसी-लेखा (सा0)/चि0प्रति0/309-1281/11, दिनांक 5-7-2011 के द्वारा जल निगम के कार्मिकों को सेवानिवृत्ति के पश्चात् चिकित्सा प्रतिपूर्ति का लाभ दिये जाने का निर्णय प्रसारित किया गया है। जल निगम में कार्यरत कार्मिकों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति की सुविधा पूर्व से ही प्राप्त है।

वाहन चालकों के सम्बन्ध में शासन की नियमावली के प्राविधान उत्तर प्रदेश जल निगम के वाहन चालकों पर लागू किये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव उ0 प्र0 जल निगम के स्तर पर विचाराधीन है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रदेश में आई0ए0एस0 तथा पी0सी0एस0 संवर्ग के अधिकारियों की स्थानान्तरण नीति

14-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आई0ए0एस0 तथा पी0सी0एस0 संवर्ग के अधिकारियों के स्थानान्तरण की नीति क्या है ? क्या एक ही जनपद में विभिन्न पदों पर एक अधिकारी की नियुक्ति की कोई समय सीमा निर्धारित है ? यदि हां, तो क्या सरकार निर्धारित अवधि से अधिक एक ही जनपद में तैनात उक्त अधिकारियों को स्थानान्तरित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

प्रदेश में आई0ए0एस0 एवं पी0सी0एस0 संवर्ग के अधिकारियों के स्थानान्तरण कार्मिक विभाग द्वारा निर्गत स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत शासन स्तर पर गठित सिविल सर्विसेज बोर्ड की संस्तुतियों के आधार पर जनहित एवं प्रशासनिक हित को ध्यान में रखते हुए किये जाते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी में खराब पड़े हैण्डपम्पों को रि-बोर कराये जाने की मांग

15-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मैनपुरी में वर्तमान में खराब पड़े इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्पों का विवरण क्या है ? क्या सरकार इनको रि-बोर कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

माह अप्रैल, 2011 में जनपद-मैनपुरी में 1225 नग हैण्डपम्प खराब पाये गये थे, जिनमें से 91 नग इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्प अस्थाई रूप से एवं 1134 नग इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्प स्थाई रूप से खराब/रि-बोर योग्य थे।

अस्थाई रूप से खराब हैण्डपम्पों को ठीक कराये जाने का कार्य सम्बन्धित ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाता है। माह अक्टूबर, 2011 तक 62 इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्पों को ठीक कराकर चालू कराया जा चुका है।

स्थाई रूप से खराब/रि-बोर योग्य 1134 हैण्डपम्पों में से माह अक्टूबर, 2011 तक 560 नग हैण्डपम्प रि-बोर कराकर चालू कराये जा चुके हैं।

उपरोक्तानुसार।

जनपद मैनपुरी में सीवर लाइन डालने में घटिया सामग्री की जांच कर कार्यवाही की मांग

16-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मैनपुरी के नगरीय क्षेत्र में विगत कई वर्षों से चल रहे सीवर लाइन डालने के कार्य में घटिया किस्म की सामग्री का प्रयोग करने से आये दिन ईंट की दीवाल गिर जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

सीवर लाइन डालने में दीवाल का निर्माण नहीं कराया गया है। केवल मेनहोलों के निर्माण में ईंट का प्रयोग किया गया है, जो सही गुणता की प्रयोग की गई है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

17-श्री आलोक कुमार शाक्य-

[1ले गुरुवार के अतारांकित प्रश्न सं0-23 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में वायु एवं ध्वनि प्रदूषण के कुप्रभाव को रोकने के उपाय

18-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वायु प्रदूषण एवं ध्वनि प्रदूषण से होने वाले कुप्रभाव को रोकने के लिये सरकार द्वारा कोई कार्य योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदेश के 13 शहरों में 33 बिन्दुओं पर नियमित रूप से परिवेशीय वायु गुणता का अनुश्रवण किया जाता है।

प्रदेश के प्रमुख शहरों लखनऊ, कानपुर, आगरा, गाजियाबाद, नोएडा एवं बरेली के पर्यावरण में सुधार लाने के उद्देश्य से वाहनों में प्रयोग हेतु स्वच्छ ईधन सी0एन0जी0 की आपूर्ति प्रारम्भ की गयी है तथा अन्य महत्वपूर्ण कार्य जैसे कि वाहनों की अधिकतम अनुमन्य आयु का निर्धारण किया जाना, 2 टी आयल के लिये प्रिमिक्स डिस्पेन्शर की स्थापना किया जाना, लो सल्फर/लो बैन्जीन युक्त पेट्रोल व डीजल की आपूर्ति आदि कार्य सम्पादित किये गये हैं।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम प्रख्यापित किये गये हैं जिनके अन्तर्गत क्षेत्रवार ध्वनि स्तर के मानक निर्धारित किये गये हैं। इसके अतिरिक्त शहरों में औद्योगिक, वाणिज्यिक, आवासीय एवं शान्त क्षेत्र/परिक्षेत्र प्रवर्गीकृत किये गये हैं। ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम हेतु जिला स्तर पर उड़नदस्तों का गठन किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर निगम गोरखपुर के रायगंज उत्तरी के बब्बन के मकान की गली में अवैध कब्जा हटाये जाने की मांग

19-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2011 के प्रथम सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं0-76 के उत्तर में कहा गया कि अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही की जा रही है ? क्या उक्त अतिक्रमण/अवरोध हटा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसके दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां। नगर निगम के वार्ड संख्या-39 रायगंज उत्तरी में पकड़ी के पेड़ (ट्रान्सफार्मर के पास) श्री यूसुफ के मकान से श्री बब्बन के मकान तक पूर्व में ही नगर निगम द्वारा अवैध कब्जा हटवाकर नाली व इण्टर लॉकिंग का निर्माण कराया जा चुका है। वर्तमान में कुछ लोगों द्वारा अपने मकान के सामने नाली पर स्लैब डालकर कब्जा कर लिया गया था जिसे हटवा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बच्चों की दर्ज गुमशुदगी व बरामदगी का विवरण

20-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जनवरी, 2010 से 31 दिसम्बर, 2010 तक कितने बच्चों की गुमशुदगी दर्ज की गई ? उनमें से कितने बच्चों की बरामदगी की गई और कितने बच्चों की बरामदगी शेष है ?

सुश्री मायावती-

पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रदेश में जनवरी, 2010 से 31 दिसम्बर, 2010 तक दर्ज गुमशुदा बच्चों के सम्बन्ध में विवरण निम्नवत् है :-

गुमशुदा बच्चे	गुमशुदा बच्चों की बरामदगी	शेष
3310	2422	888

जनपद प्रतापगढ़ के ग्राम ब्लाक पट्टी में ग्राम पेयजल समूह मेहदिया में निर्माण कार्यों में अनियिमतता की जांच

21-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2011 के दूसरे सोमवार के अता0 प्रश्न संख्या-66 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पेयजल समूह मेहदिया ब्लाक पट्टी प्रतापगढ़ के निर्माण कार्य में की गयी अनियमितता की टी0ए0सी0 से करायी जा रही जांच के क्या परिणाम हैं ? क्या प्रत्येक ग्राम को पाइप लाइन की सुविधा से जोड़ दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

ग्राम समूह मेहदिया पेयजल योजना की टी0ए0सी0 जांच में यह पाया गया है कि निर्माण कार्य में विलम्ब हुआ और नलकूप अपने सामान्य जीवनकाल से पूर्व 7-8 वर्षों में ही असफल हो गया।

निर्माण कार्य में विलम्ब हेतु सिविल निर्माण खण्ड, उत्तर प्रदेश जल निगम, प्रतापगढ़ तथा नलकूप के प्रकरण में द्वितीय निर्माण खण्ड (विद्युत/यांत्रिक), उत्तर प्रदेश जल निगम, इलाहाबाद के अभियन्ता दोषी पाये गये हैं। दोषी अभियन्ताओं के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रचलित है।

जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मेहदिया ग्राम समूह पेयजल योजना में सम्मिलित समस्त 12 ग्रामों (गोगलापुर, मेहदिया, पूरेदूबे, बारीखुर्द, कुकुआर, अन्तपुर, पुरईपुर, दुलीपुर, उमरपुर, पंडरी, मुस्तरका, सर्वजीतपुर एवं भैसोना) में पाइप लाइन बिछा दी गयी है परन्तु अवर जलाशय का निर्माण न होने के कारण सम्प्रति 08 ग्रामों (गोगलापुर, मेहदिया, बारीखुर्द, कुकुआर, अन्तपुर, पडरी मुस्तरका, सर्वजीतपुर एवं भैसोना) में ही सीधे पम्पिंग के माध्यम से जलापूर्ति संभव हो पा रही है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद प्रतापगढ़ में प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत निर्मित सड़कों की गुणवत्ता की जांच की मांग

22-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ में प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 2010 में निर्मित सड़कें मात्र 2 महीनें में खराब गुणवत्ता के कारण क्षतिग्रस्त हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी नहीं।

वर्ष 2010 में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कुल 22 सम्पर्क मार्गों का निर्माण कराया गया था, जिनकी गुणवत्ता का परीक्षण समय-समय पर नेशनल क्वालिटी मानीटर्स तथा स्टेट क्वालिटी मानीटर्स द्वारा किया गया है। वर्ष 2010 में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद प्रतापगढ़ में निर्मित की गयी सड़कों का विवरण जिनमें मार्गों के निरीक्षण की अन्तिम तिथि तथा निरीक्षणकर्ता द्वारा दी गयी ग्रेडिंग का भी उल्लेख है, संलग्नक-1 † पर है, जिससे यह स्पष्ट है कि समस्त मार्गों पर निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा संतोषजनक ग्रेडिंग दी गयी है व मार्गों की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप है। यातायात के कारण समय-समय पर मार्गों में छोटे-छोटे पैच बन जाते हैं जिन्हें नियमित अनुश्रवण के अन्तर्गत ठीक करा दिया जाता है। वर्तमान में सभी मार्गों पर यातायात सुचारु रूप से चल रहा है तथा गुणवत्ता के दृष्टिकोण से कोई भी मार्ग क्षतिग्रस्त नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

† (देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 76-78 पर।)

जनपद प्रतापगढ़ में बढ़ते हुए अपराधों को दृष्टिगत रखते हुए नये थाने स्थापित कराये जाने की मांग

23-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ में बढ़ते हुए अपराधों को दृष्टिगत रखते हुए सरकार जनपद में नये थाने स्थापित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जनपद प्रतापगढ़ में कोतवाली नगर के 125 वर्ग कि0मी0 का क्षेत्रफल काटकर नई कोतवाली बनाये जाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। नवीन थाना स्थापित करने हेतु निर्धारित मानक को पूर्ण न किये जाने के कारण उक्त नवीन थाने की स्थापना किये जाने का औचित्य नहीं पाया गया है।

उपरोक्तानुसार।

24-श्री विद्या सागर गुप्ता-

[1ले बुधवार के अतारांकित प्रश्न सं0-50 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उ0 प्र0 के सहायक निदेशक, लखनऊ के विरुद्ध कथित शिकायती-पत्र

25-श्री विश्वनाथ-

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0 प्र0 में सहायक निदेशक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ के विरुद्ध श्री चन्द्रशेखर, भूतपूर्व सहायक परीक्षक स्थानीय निधि लेखा का शिकायती-पत्र दिनांक 07-07-2009 तथा 14-10-2009 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी वर्मा-

निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार श्री चन्द्रशेखर, भूतपूर्व सहायक परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा का शिकायती-पत्र दिनांक 7-7-2009 तथा 14-10-2009 निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0 प्र0 इलाहाबाद में अनुरक्षित अभिलेखों के अनुसार प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद लखनऊ बालागंज वार्ड के ग्राम बरावन कला में नाली सफाई विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

26-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ बालागंज वार्ड के ग्राम बरावन कलां में माँ शीतला देवी मंदिर से त्रिलोकी सिंह इण्टर कालेज तक सड़क के दोनों ओर मिट्टी से बन्द की गयी नाली की सफाई विषयक श्री सुरेश चन्द्र तिवारी, विधायक के पत्र पर मा0 महापौर, नगर निगम, लखनऊ द्वारा जोनल अधिकारी, जोन-6 को दिनांक 20-8-2011 को प्राप्त पत्र में क्या आदेश निर्गत किये गये थे ? क्या सरकार उत्तरदायित्व का निर्धारण कर उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराकर विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जनपद-लखनऊ बालागंज वार्ड के ग्राम बरावन कला में मां शीतला देवी मन्दिर से त्रिलोकी सिंह इण्टर कालेज तक सड़क के दोनों ओर की नालियों में जमा कूड़ा व सिल्ट दौरा लगवाकर हटवा दिया गया है तथा नियमित सफाई व्यवस्था हेतु कर्मचारियों को निर्देशित कर दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा में कमलानगर की फूल वाटिका पार्क की जर्जर चहारदीवारी व पैदल पथ के निर्माण की मांग

27-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में ए-ब्लाक कमला नगर के फूल वाटिका पार्क की चहारदीवारी अत्यन्त जर्जर है तथा घूमने वालों के लिए पैदल पथ भी नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त दोनों कार्यों को करवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं। ए-ब्लाक कमला नगर, आगरा के फूलवाटिका पार्क की चहारदीवारी बनी हुई है तथा ग्रिल व गेट लगा हुआ है। पैदल घूमने वालों के लिये पैदल पाथ-वे नहीं है।

धन की उपलब्धता के आधार पर पाथ-वे का निर्माण कराया जा सकेगा।

जनपद आगरा की न्यू राधा नगर बल्केश्वर की जीर्ण-शीर्ण सड़कों की मरम्मत कराये जाने की मांग

28-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि न्यू राधा नगर, बल्केश्वर जनपद आगरा की आन्तरिक सड़कें विगत 2 वर्षों से जीर्ण-शीर्ण हो गयी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इन सड़कों की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

जी हां।

सड़कों की मरम्मत धन की उपलब्धता के आधार पर यथा शीघ्र कराया जायेगा।

पुष्प इन्क्लेव ट्रांसपोर्ट नगर, जनपद आगरा की जर्जर सड़कों की मरम्मत कराये जाने की मांग

29-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुष्प इन्क्लेव ट्रांसपोर्ट नगर जनपद आगरा की आन्तरिक सड़कें विगत 3 वर्षों से जर्जर हैं ? क्या सरकार इन सड़कों की मरम्मत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

जी नहीं, क्योंकि पुष्प इन्क्लेव कालोनी प्राइवेट बिल्डर्स द्वारा विकसित और नगर निगम को हस्तान्तरित नहीं हुई है।

30-श्री मयंकेश्वर शरण सिंह-

[1ले शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न सं0-38 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

31-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

[2सरे मंगलवार के अतारांकित प्रश्न सं0-04 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

लखनऊ की कानपुर रोड एल0डी0ए0 कालोनी सेक्टर-जी की क्षतिग्रस्त पानी की पाइप लाइन की मरम्मत कराये जाने की मांग

32-श्री लालजी यादव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सेक्टर जी0, कानपुर रोड एल0डी0ए0 कालोनी, लखनऊ में आवास संख्या-एस0एस0-749 के बगल में जल संस्थान द्वारा डाली गयी पानी की पाइप क्षतिग्रस्त होने के कारण सड़क पर पानी बहता है ? क्या यह सही है कि संस्थान द्वारा पानी फोर्स से नहीं छोड़े जाने के कारण लोगों को बिना टुल्लू चलाये पानी नहीं मिलता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त पाइप को ठीक कराने एवं पानी फोर्स से छोड़ने का निर्देश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

सेक्टर-जी कानपुर रोड, एल0डी0ए0 कालोनी के आवास संख्या-एस0एस0-749 के पास जल संस्थान की पड़ी पाइप लाइन से उपभोक्ता द्वारा लिये गये निजी जल संयोजन में लीकेज थी जिसकी मरम्मत करवा दी गई है।

उक्त सेक्टर में पानी की टंकी द्वारा प्रतिदिन प्रातः 6.30 बजे से 8.00 बजे तक तथा सायंकाल 6.30 बजे से 8.00 बजे तक जलापूर्ति की जाती है। उक्त अवधि में बिना टुल्लू के पानी उपलब्ध होता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के नगर निगम अन्तर्गत लालकुआं महाकालेश्वर मन्दिर से भेड़ी मण्डी तक जानवरों से हो रही गन्दगी को रोकने के उपाय

33-श्री लालजी यादव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम लखनऊ के अन्तर्गत लालकुआं महाकालेश्वर मंदिर के बगल से निकलने वाली रोड जो भेड़ी मण्डी तक जाती है, पर भैंस, गायें, खच्चर आदि बड़ी संख्या में लोगों द्वारा बांध दिये जाने से गन्दगी के कारण बीमारियां फैल रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए उक्त सड़क पर जानवरों को बांधने पर रोक लगायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

उच्च न्यायालय लखनऊ द्वारा उ0 प्र0 विज्ञापन नीति नियमावली निरस्त करने का आधार एवं नई नीति बनाये जाने की मांग

34-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्डपीठ ने उ0 प्र0 विज्ञापन नीति नियमावली, 2009 को निरस्त कर दिया है ? यदि हां, तो निरस्तीकरण का आधार क्या है ? क्या सरकार नयी विज्ञापन नीति बना रही है ? यदि हां, तो वह कब तक बन जायेगी ? क्या सरकार नयी नीति बनने तक मार्गों पर लगी होर्डिंग्स को हटवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

मा0 न्यायालय द्वारा उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959 की सुसंगत धाराओं के प्राविधानों का पालन न किये जाने का आधार लिया गया है।

मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में अधिनियम की सुसंगत धाराओं के प्राविधानों के अन्तर्गत नियमावली का प्रारूप तैयार कर शासन को अनुमोदन हेतु भेजे जाने के निर्देश समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश को पत्र दिनांक 19-9-2011 द्वारा दिये गये हैं।

समस्त नगर निगमों से संगत अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अनुसार नियमावली का प्रारूप प्राप्त होने पर परीक्षणोपरान्त समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर उसके प्रख्यापन हेतु यथाशीघ्र कार्यवाही की जायेगी।

उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959 की सुसंगत धाराओं के प्राविधानों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाविधि कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ की क्षेत्र पंचायत मंगरौरा में स्वीकृत आवास एवं उसके आवंटन का विवरण तथा इसके पात्रता की जांच

35-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ की क्षेत्र पंचायत मंगरौरा में वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में किन-किन ग्राम पंचायतों में कितने-कितने अलग-अलग श्रेणी के आवास स्वीकृत किये गये ? उनके नाम एवं पूर्ण विवरण क्या हैं ? प्रत्येक ग्राम पंचायत में आवास के आवंटन में किन-किन वर्गों के कितने-कितने पात्र व्यक्तियों का चयन किया गया ? क्या उनकी पात्रता को खण्ड विकास अधिकारी ने प्रमाणित किया है ? यदि हां, तो क्या सरकार पात्रता की जांच आयुक्त, इलाहाबाद से करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जनपद प्रतापगढ़ की क्षेत्र पंचायत मंगरौरा में वर्ष 2009-10 में इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत 355 एवं महामाया आवास योजना के अन्तर्गत 60 आवास अर्थात् कुल 415 आवास स्वीकृत किये गये। वर्ष 2010-11 में इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत 212 एवं महामाया आवास योजना के अन्तर्गत 84 अर्थात् कुल 296 आवास ग्राम पंचायतों में अलग-अलग श्रेणी के स्वीकृत किये गये। ग्राम पंचायत वार स्वीकृत आवासों का विवरण सूची संलग्नक ''क'' पर एवं स्वीकृत/निर्मित आवासों के लाभार्थियों के नाम एवं उनके पूर्ण विवरण की सूची संलग्नक † ''ख'' पर है।

प्रत्येक ग्राम पंचायत में आवासों के आवंटन में पात्र व्यक्तियों की वर्गवार सूची संलग्नक†'क' पर है।

जी हां।

आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

सेक्टर प्रभारी एवं खण्ड विकास अधिकारी द्वारा लाभार्थियों की पात्रता की जांच करने के पश्चात् ही सक्षम स्तर से स्वीकृति प्रदान की गयी है।

---

† छापी नहीं गयी।

जनपद प्रतापगढ़ की क्षेत्र पंचायत मंगरौरा में स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष स्वरोजगारियों के लाथार्थियों का विवरण

36-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ की क्षेत्र पंचायत मंगरौरा में वर्ष 2010-11 में सितम्बर, 2011 तक स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है एवं कितने लाभार्थियों का चयन कर उन्हें किन-किन योजनाओं से लाभान्वित किया गया है ? क्या सरकार इसका सत्यापन करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

क्षेत्र पंचायत मंगरौरा, जनपद प्रतापगढ़ में प्रश्नगत अवधि में स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 2010-11 में निर्धारित लक्ष्य 600 के सापेक्ष 135 तथा वर्ष 2011-12 (सितम्बर, 2011 तक) में निर्धारित लक्ष्य 210 के सापेक्ष 82 स्वरोजगारियों को लाभान्वित किया गया। योजनाओं का विवरण संलग्न है।

लाभार्थियों का सत्यापन सहायक विकास अधिकारी (आई0एस0बी0) विकास खण्ड मंगरौरा से कराया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 79-80 पर)

37-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

[1ले शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न सं0-40 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद प्रतापगढ़ में नरेगा के अन्तर्गत स्टेशनरी एवं अन्य सामग्री की बिना टेण्डर गुणवत्ता के विपरीत आपूर्ति की जांच की मांग

38-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ में वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 में अक्टूबर, 2012 तक नरेगा के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को स्टेशनरी एवं अन्य सामग्री की आपूर्ति किस संस्था/फर्म से की गयी है ? क्या यह सही है कि आपूर्ति की गयी सामग्रियां बिना टेण्डर सीधे भी खरीदी गयी है जो गुणवत्ता के विपरीत हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

वर्ष 2007-08 से 2010-11 तक सम्बन्धित ग्राम पंचायतों द्वारा सामग्री का स्थानीय क्रय वित्तीय नियमों के अन्तर्गत कोटेशन आमंत्रित कर प्रचलित बाजार दर पर किया गया है। वर्ष 2011-12 में अक्टूबर, 2011 तक ग्राम पंचयतों में आवश्यक रजिस्टर/स्टेशनरी का क्रय पंचायत उद्योग पट्टी तथा सदर जनपद प्रतापगढ़ से किया गया।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के नगर निगम की पुलिस चौकी टिकैतगंज के सामने कूड़ेघर को अन्यत्र स्थानान्तरित करने की मांग

39-श्री लालजी यादव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के नगर निगम की पुलिस चौकी टिकैतगंज के सामने मुहल्ले का कूड़ा मुख्य सड़क पर डाला जाता है जिससे वहां आवागमन में कठिनाई होती है एवं वहां बीमारियां फैल रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार वहां से कूड़ा हटाकर निकट स्थित पावर हाउस में बने अपशिष्ट गृह में कूड़ा डालने की व्यवस्था करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां। परन्तु प्रतिदिन नियमित रूप से कूड़ा उठाने के बाद प्रतिदिन सफाई करा दी जाती है जिसके कारण आवागमन में कोई असुविधा नहीं होती है एवं न ही कोई बीमारियां फैल रही है।

जी नहीं, नियमित कूड़े का निस्तारण किया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ की कानपुर रोड एल0डी0ए0 कालोनी की क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराये जाने की मांग

40-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ की एल0डी0ए0 कालोनी, कानपुर रोड, सेक्टर जी में आवास संख्या-एस0एस0-750 के सामने की सड़क क्षतिग्रस्त है और नाली से निकला कूड़ा सड़कों पर ढेर पड़ा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त सड़क को ठीक कराकर नाली के कूड़े को हटवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

प्रश्नगत सड़क क्षतिग्रस्त है किन्तु नाली से कूड़ा हटा दिया गया है।

सड़क की मरम्मत शीघ्र करा दी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ की एल0डी0ए0 कालोनी कानपुर रोड की सड़कों पर लाइट व्यवस्था ठीक कराये जाने की मांग

41-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के अन्तर्गत प्रेमप्लाजा से सेक्टर जी चौराहा होते हुए राम मनोहर लोहिया जोनल पार्क तक कानपुर रोड एल0डी0ए0 कालोनी में सड़क पर लगाये गये बिजली के खम्भों पर लाइट नहीं जलती है जिससे वहां अंधेरा बना रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त बिजली के पोलों पर खराब पड़ी लाइटों को ठीक कराकर सड़क पर प्रकाश की व्यवस्था करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं। उक्त सन्दर्भित स्थल पर कुल 26 पोल लगे हैं, जिसमें 02 पोलों पर बल्ब लगे हैं, 10 पोलों पर सोडियम फिटिंग लगी हैं तथा 14 पोलों पर ट्यूब फिटिंग लगी हैं जो कि वर्तमान में प्रज्वलित हैं।

वर्तमान में सन्दर्भित स्थल पर लगे समस्त मार्ग प्रकाश बिन्दु प्रज्वलित हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ की एल0डी0ए0 कानपुर रोड योजना की सड़क पर अनाधिकृत कब्जा हटवाये जाने की मांग

42-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ स्थित कानपुर रोड योजना के सेक्टर जी चौराहे से लेकर प्रेमप्लाजा तक की सड़क नगर निगम लखनऊ की सड़क है ? यदि हां, तो क्या उक्त सड़क पर कतिपय लोगों द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अनाधिकृत कब्जे को हटवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

जी हां।

जी हां।

अतिक्रमण अभियान चलाकर यथाशीघ्र अनाधिकृत कब्जे को हटवा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में कार्यदायी संस्था या विभाग द्वारा खोदी गयी सड़कों को ठीक कराये जाने का निर्गत आदेश

43-श्री विद्या सागर गुप्ता-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिस कार्यदायी संस्था या विभाग द्वारा सड़कें खोदी जायें उन्हीं से उन सड़कों को बनाकर पूर्ववत् स्थिति में लाने की जिम्मेदारी निर्धारित करने का आदेश सरकार पारित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-339सीजीए/नौ-5-2011-18(20)/2011 दिनांक 19 अप्रैल, 2011 द्वारा आदेश निर्गत किये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ नगर के कतिपय पार्कों में भूमिगत पार्किंग बनाने से वाटर हार्वेस्टिंग की समस्या के निदान के उपाय

44-श्री विद्या सागर गुप्ता-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दयानिधान पार्क, सरोजनी सामुदायिक, नगर निगम की झण्डा पार्क एवं महानगर पार्क लखनऊ में भूमिगत पार्किंग बनाने के कारण वाटर हार्वेस्टिंग की समस्या पैदा हो जाने से जल स्तर और नीचे चला जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार भविष्य में पार्कों के नीचे भूमिगत पार्किंग पर रोक लगायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं। पार्कों में इस प्रकार के भूमिगत निर्माण से उक्त स्थान पर कम पर्कोलेशन होगा तथा इससे भूमिगत जल स्तर को बनाये रखने में कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि पार्कों के अगल-बगल से सीपेज होता रहेगा। वर्तमान समय में शहर में भूमिगत जल स्तर को बनाये रखने हेतु रेन वॉटर हार्वेस्टिंग योजना अनिवार्य रूप से लागू है। शहर में यातायात तथा पार्किंग समस्या के निदान हेतु भूमिगत पार्किंग जनहित में आवश्यक है। भूमिगत पार्किंग के ऊपर पार्क का स्वरूप यथावत् बना हुआ है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

लखनऊ नगर के झण्डे वाले पार्क पर चौकीदार/माली की व्यवस्था कराये जाने की मांग

45-श्री विद्या सागर गुप्ता-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अमीनाबाद वार्ड लखनऊ स्थित झण्डे वाला पार्क अवांछनीय तत्वों का बसेरा बना हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पार्क के रख-रखाव के लिए माली तथा चौकीदारों की तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

अमीनाबाद वार्ड में स्थित झण्डे वाला पार्क अविकसित स्थिति में है, जिस कारण से माली/गार्ड आदि तैनात नहीं हैं। पार्क में लोग आते हैं और कुछ समय रुक कर चले जाते हैं। संसाधनों की उपलब्धता होते ही पार्क के औद्यानिक सौन्दर्यीकरण तथा उसकी देखभाल के लिये मालियों और सुरक्षा के लिये गार्ड की तैनाती की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

लखनऊ नगर के रघुराज नगर एवं इन्दिरा नगर की सड़क में डामरीकरण एवं लाइट व्यवस्था ठीक कराने की मांग

46-चौ0 रवीन्द्र प्रताप-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर में स्थित रघुराज नगर निकट पटेल नगर एक्सचेन्ज, इन्दिरानगर के आवास संख्या-18 से 25 के सामने रोड बनाने हेतु विगत 4 माह से गिट्टी डाली गयी है परन्तु उस पर डामरीकरण नहीं कराया गया है तथा उक्त मोहल्ले की स्ट्रीट लाइट भी खराब है ? यदि हां, तो क्या सरकार खराब स्ट्रीट लाइटों को ठीक कराते हुये उक्त सड़क का डामरीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

जी हां।

धन की उपलब्धता होने पर यथाशीघ्र कार्य कराया जा सकता है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के डा0 राममनोहर लोहिया इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइन्सेज संस्थान, गोमती नगर अस्पताल में विलय की मांग

47-चौ0 रवीन्द्र प्रताप-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा0 राममनोहर लोहिया इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइन्स संस्थान में कौन-कौन से विभाग कार्यरत हैं ? क्या यह सही है कि उक्त संस्थान में मेडिसिन, सर्जरी, गाइनो तथा बाल रोग आदि विभाग से सम्बन्धित मरीजों को उपचार हेतु डा0 राममनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय में रिफर किया जाता है जहां सुलभ एवं सस्ता इलाज उपलब्ध है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में प्रदेश की जनता को सुलभ एवं सस्ता इलाज दिलाने हेतु उक्त संस्थान एवं अस्पताल का विलय करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी वर्मा-

डा0 राममनोहर लोहिया इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइन्सेज, गोमती नगर, लखनऊ में वर्तमान में निम्नलिखित 13 विभाग क्रियाशील हैं:-

1-कार्डियोलाजी, 2-सी0बी0टी0एस0, 3-न्यूरोसर्जरी, 4-न्यूरोलाजी, 5-रेडियेशन आंकोलाजी, 6-पैथोलाजी, 7-एनेस्थीसियोलाजी, 8-रेडियो डाइग्नोसिस, 9-सर्जिकल आंकोलाजी, 10-यूरोलाजी, 11-न्यूक्लियर मेडिसिन, 12-गैस्ट्रोसर्जरी, 13-माइक्रोबायोलाजी।

जी नहीं। संस्थान में भर्ती मरीजों को यदि मेडिसिन, सर्जरी, गाइनो तथा बाल रोग विभाग आदि की चिकित्सा की आवश्यकता पड़ती है तो उन्हें चिकित्सकीय परामर्श हेतु डा0 राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्यालय को रिफर किया जाता है।

वर्तमान में डा0 राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज तथा डा0 राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय को विलय करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। डा0 राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की स्थापना का उद्देश्य मरीजों को अतिविशिष्ट चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने के साथ-साथ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित किये जाने का है जबकि डा0 राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय को एक सामान्य चिकित्सालय के रूप में संचालित किया जा रहा है। उपरोक्त दोनों संस्थाओं का संचालन अलग-अलग विभागों यथा चिकित्सा शिक्षा विभाग तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जा रहा है।

जनपद सीतापुर के ग्राम विकास अधिकारी का स्थानान्तरण स्थानान्तरण नीति के अनुसार किये जाने की मांग

48-श्री अमित गौरव-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार की स्थानान्तरण नीति के अनुसार प्रदेश में ग्राम्य विकास अधिकारियों की एक ब्लाक में तैनाती की अधिकतम सीमा 5 वर्ष है ? यदि हां, तो जनपद सीतापुर में ऐसे कितने ग्राम विकास अधिकारी हैं जो नीति के विपरीत 5 वर्ष से अधिक एक ही ब्लाक में तैनात हैं ? क्या सरकार स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत उनका स्थानान्तरण अन्य ब्लाक में करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग द्वारा वर्षानुवर्ष स्थानान्तरण नीति जारी की जाती है, जो समस्त विभागों पर प्रभावी होती है। स्थानान्तरण नीति में किये गये प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

स्थानान्तरण सत्र 2011-2012 के लिए जारी स्थानान्तरण नीति में किसी भी श्रेणी के कार्मिकों के स्थानान्तरण न किये जाने के निर्देश हैं। केवल अपरिहार्य परिस्थितियों जैसे चिकित्सा, बच्चों की शिक्षा एवं प्रशासनिक कारणों आदि के आधार पर आवश्यक स्थानान्तरण मा0 विभागीय मंत्री जी के माध्यम से मा0 मुख्य मंत्री जी का पूर्वानुमोदन प्राप्त कर किये जा सकते हैं।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड-रूपैहडीह के ग्राम जयराम पुरवा के रामसगरा तालाब के सौन्दर्यीकरण का कार्य पूर्ण कराये जाने की मांग

49-श्री राधेश्याम गुप्ता-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम जयराम पुरवा, विकास खण्ड-रूपैहडीह, जनपद गोण्डा में रामसगरा तालाब के सौन्दर्यीकरण हेतु जुलाई/अगस्त, 2010 में कार्य प्रारम्भ हुआ था ? यदि हां, तो दिनांक 30-04-2011 तक कितना कार्य करा दिया गया था ? क्या यह सत्य है कि तत्कालीन ग्राम प्रधान द्वारा रामसगरा तालाब में मात्र खुदाई कराकर कार्य को बन्द कर दिया गया था तथा कार्य को पूर्ण मानकर आख्या प्रस्तुत कर दी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही कराते हुये रामसगरा तालाब के सौन्दर्यीकरण का कार्य पूर्ण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां।

20 प्रतिशत कार्य कराया गया।

जी नहीं। जल भराव के कारण अस्थायी रूप से कार्य स्थगित है। तालाब में पानी सूखने के पश्चात् कार्य पुनः प्रारम्भ कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के अन्तर्गत बिछायी गयी सीवरेज लाइन के सम्बन्ध में जानकारी

50-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जे0एन0एन0यू0आर0एम0 तथा राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण द्वारा इलाहाबाद के नगर क्षेत्र में जल निगम के डिस्ट्रिक्ट डी0सी0ई0 के अन्तर्गत कितने किलोमीटर सीवर लाइनें किन-किन मोहल्लों में बिछायी जानी प्रस्तावित हैं एवं इन सीवर लाइनों को किस एस0टी0पी0 से जोड़ा जायेगा ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

इलाहाबाद नगर में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के अन्तर्गत सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-डी की योजना में 232.2 किमी0 सीवर लाइन अशोक नगर, राजापुर, कटरा, ममफोर्डगंज, रसूलाबाद, तेलियरगंज, मेंहदौरी, बेली-म्योराबाद, टैगोर टाउन, एलेनगंज, जार्ज टाउन, अलोपीबाग तथा दारागंज आदि क्षेत्र में बिछायी जानी है। उक्त क्षेत्र को राजापुर एस0टी0पी0 से जोड़ा जायेगा। एन0जी0आर0बी0ए0 के अन्तर्गत सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-सी के अन्तर्गत 120 किमी0 सीवर लाइन सलोरी, अल्लापुर, छोटा बघाड़ा, बड़ा बघाड़ा, गोविन्दपुर तथा प्रयाग स्टेशन के निकट के क्षेत्र में बिछायी जानी है। उक्त क्षेत्र को सलोरी एस0टी0पी0 से जोड़ा जायेगा। उक्त योजना का प्राक्कलन भारत सरकार द्वारा नामित टी0सी0एस0 द्वारा विचाराधीन है।

एन0जी0आर0बी0ए0 कार्यक्रम के अन्तर्गत डिस्ट्रिक्ट-ई के अन्तर्गत कुल 110 किमी0 सीवर लाइन, सुलेम सरायं प्रीतम नगर, मुण्डेरा, बमरौली आदि क्षेत्र में बिछायी जायेगी। उक्त क्षेत्र को पोंघट व कोडरा एस0टी0पी0 से जोड़ा जायेगा।

सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-डी के कार्य माह अक्टूबर, 2012 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-सी के कार्य अनारम्भ है। सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-ई के अन्तर्गत 2 नग एस0टी0पी0 के कार्य आरम्भ है। कार्य पूर्ण होने की तिथि माह दिसम्बर, 2012 है। सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-ई में सीवर लाइन का कार्य पूर्ण होने की प्रस्तावित तिथि माह फरवरी, 2013 है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी की ग्रामीण जनता को खारे पानी से मुक्ति दिलाये जाने की योजना

51-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी की ग्रामीण जनता को खारे पानी से मुक्ति दिलाये जाने हेतु सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां।

भारत सरकार के गुणता प्रभावित कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी के 41 ग्रामों की कुल 182 बस्तियां खारे पानी से प्रभावित चिन्हित हुयी थीं। खारे पानी से प्रभावित बस्तियों हेतु 41 नग एकल ग्राम पेयजल योजनाएं स्वीकृत की गयी थी जिनमें से 22 नग एकल ग्राम पेयजल योजनाओं को पूर्ण कर खारे पानी से प्रभावित 119 बस्तियों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है तथा शेष 19 नग एकल ग्राम पेयजल योजनाओं पर निर्माण कार्य प्रगति पर है जिन्हें माह मार्च, 2012 तक पूर्ण कर खारे पानी से प्रभावित शेष 63 बस्तियों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बरेली के थाना व नगर पंचायत शेरगढ़ के जलील अंसारी के फर्जी बयान पर शस्त्र लाइसेन्स प्राप्त करने विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

52-श्री सुल्तान बेग-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र दिनांक 24-05-2011 कम्प्यूटर संख्या : सी 10241766, सी0एम0/वि0को0/एम-241766/2011 जो जलील अहमद उर्फ बाबू अंसारी निवासी थाना व नगर पंचायत शेरगढ़ के फर्जी बयान हल्फी देकर शस्त्र लाइसेन्स हासिल करने के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करने के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

मा0 सदस्य का शिकायती-पत्र दिनांक 24-5-2011 कम्प्यूटर संख्या-सी 10241766, सी0एम0/वि0को0/एम-241766/2011, जलील अहमद उर्फ बाबू अन्सारी निवासी थाना व नगर पंचायत शेरगढ़ जिला बरेली के प्रकरण से सम्बन्धित नहीं है। इस विषय पर मा0 सदस्य के दो पत्र दिनांक 20-10-09 व 11-7-2011 प्राप्त हुए हैं।

इस प्रकरण में जिला मजिस्ट्रेट बरेली द्वारा श्री जलील अहमद उर्फ बाबू अन्सारी के सम्बन्ध में पुलिस आख्या प्राप्त की गयी, जिसके आधार पर कार्यवाही करते हुए दिनांक 23-10-2009 को अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्र0) द्वारा शस्त्र निरस्तीकरण का नोटिस वापस लेते हुए श्री जलील अहमद उर्फ बाबू अन्सारी के विरुद्ध कार्यवाही समाप्त की जा चुकी है।

उक्त के दृष्टिगत प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के शक्तिनगर में नगर निगम द्वारा कतिपय मकानों से सीवर व जलकर का निर्धारित कर वसूले जाने के सम्बन्ध में जानकारी

53-श्री लालजी यादव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम, लखनऊ के अन्तर्गत मकान संख्या-एस0 143/2 व एस0 143/1 एवं 628/एस0-57 शक्तिनगर, लखनऊ से मानक के अनुरूप निर्धारित नगर, सीवर कर, जलकर आदि का भुगतान किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर वर्ष 1990 से निर्धारित करों की वसूली करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

नगर निगम लखनऊ के अन्तर्गत मकान संख्या-एस0 143/2 व एस0 143/1 एवं 628/एस0-57 शक्तिनगर, लखनऊ से मानक के अनुरूप निर्धारित जलकर का भुगतान किया जा रहा है।

शक्तिनगर क्षेत्र में सीवर लाइन की व्यवस्था नहीं है, अतएव सीवर कर नहीं लिया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ में प्रमुख नदियों को प्रदूषण मुक्त करने की योजना

54-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रतापगढ़ में प्रमुख नदियों को प्रदूषण मुक्त करने हेतु कोई योजना सरकार द्वारा चलाई जा रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

जनपद प्रतापगढ़ में घरेलू मल-जल के शुद्धीकरण हेतु उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जनपद प्रतापगढ़ में सई नदी एवं गंगा नदी का विभिन्न बिन्दुओं पर प्रत्येक माह नियमित अनुश्रवण किया जाता है। अनुश्रवण आख्या से स्पष्ट है कि विश्लेषित बिन्दुओं पर घुलित आक्सीजन की मात्रा 4.0 मिग्रा0/ली0 से अधिक पायी गयी है जो कि नदी में मत्स्य पालन हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक मंगरौरा में नरेगा योजनान्तर्गत गत वर्षों में व्यय हुई धनराशि एवं कृत कार्यों की जानकारी

55-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक मंगरौरा में नरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2009-10, 2010-11 एवं सितम्बर, 2011 तक वर्ष वार कितना धन खर्च किया गया एवं कौन-कौन से कार्य कराये गये ? क्या कार्यों का स्थलीय सत्यापन कराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

विकास खण्ड मंगरौरा, जनपद प्रतापगढ़ में महात्मा गांधी नरेगा अन्तर्गत वर्ष 2009-10, 2010-11 तथा 2011-12 (सितम्बर, 11 तक) में क्रमशः 429 कार्य पर रु0 356.104 लाख, 430 कार्य पर रु0 338.063 लाख तथा 308 कार्य पर रु0 202.839 लाख व्यय किये गये। कार्यों की सूची संलग्न[†] है।

(देखिये पृष्ठ ..... पर)

[†] छापी नहीं गई

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के रूरे भावपुर शहीद स्थल को विकसित कराने का कथित प्रकरण

56-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या संस्कृति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ स्थित रूरे भावपुर शहीद स्थल के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुये क्या सरकार उक्त स्थल के विकास की स्वीकृति प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संस्कृति मंत्री (श्री सुभाष पाण्डेय)-

जी नहीं।

प्रश्नगत स्थल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संरक्षित नहीं है।

प्रदेश में उ0 प्र0 नगरीय फेरी तथा सड़क पटरियों का कारोबार नियमावली अन्तर्गत समितियों के गठन व इससे सम्बन्धित प्राप्त आवेदन-पत्रों एवं आवंटन के सम्बन्ध में जानकारी

57-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 नगरीय फेरी तथा सड़क पटरियों का कारोबार (विनिमय एवं प्रबन्धन) नियमावली, 2007 की धारा-5 के अनुसार क्या उ0प्र0 के नगर निगमों में नगर फेरी समिति तथा वार्ड समिति का गठन कर लिया गया है ? यदि हां, तो किन-किन नगर निगमों में कब-कब गठन किया गया है एवं फेरी के लिए अब तक कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुये हैं ? क्या सभी आवेदकों को फेरी के लिए आवेदन किया है तथा कितने लोगों को पंजीकृत/आवंटित कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो शेष को भी फेरी हेतु आवंटित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रदेश की सई व गोमती नदी को प्रदूषण मुक्त करने की योजना

58-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सई एवं गोमती नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने हेतु सरकार ने कोई कार्य योजना बनाई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ द्वारा गोमती नदी में घरेलू उत्प्रवाह के शुद्धीकरण हेतु लखनऊ शहर में दौलतगंज एवं भरवारा में क्रमशः 56 एम0एल0डी0 एवं 345 एम0एल0डी0 क्षमता के सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट स्थापित एवं संचालित है।

जनपद सुल्तानपुर में सुल्तानपुर शहर से निस्तारित होने वाले घरेलू उत्प्रवाह के शुद्धीकरण हेतु 05 एम0एल0डी0 क्षमता का आक्सीडेशन पाण्ड स्थापित एवं संचालित है तथा 09 एम0एल0डी0 क्षमता के सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट हेतु उ0 प्र0 जल निगम द्वारा योजना प्रस्तावित है।

गोमती नदी में उत्प्रवाह निस्तारित करने वाले कुल 27 उद्योग चिन्हित किये गये हैं, जिनमें से 07 चीनी उद्योग, 05 आसवनी/यीस्ट इकाइयां, 01 एग्रो आधारित पेपर इकाई तथा 14 अन्य छोटे उद्योग हैं। समस्त चीनी इकाइयों में पूर्ण उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र स्थापित किये गये हैं क्रसिंग सीजन के दौरान उत्प्रवाह बोर्ड मानकों के अनुरूप शुद्धीकृत करने के पश्चात ही निस्तारित किया जाता है। 05 आसवनी/यीस्ट इकाईयों द्वारा अपने औद्योगिक उत्प्रवाह का उपयोग बायो गैस बनाने तथा बायो-कम्पोस्टिंग कर खाद बनाने में किया जाता है। जिससे इन उद्योगों से औद्योगिक उत्प्रवाह के निस्तारण की संभावना शून्य हो गयी है। 01 एग्रो आधारित पेपर इकाई में केमिकल रिकवरी संयंत्र एवं उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र स्थापित है। इसके अतिरिक्त 14 अन्य छोटे उद्योगों में पूर्ण उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र स्थापित हैं तथा यह मानकों के अनुरूप उत्प्रवाह का शुद्धीकरण करने के पश्चात ही निस्तारण करते हैं।

बोर्ड द्वारा गोमती नदी की जल गुणता का अनुश्रवण 09 बिन्दुओं पर किया जाता है।

सई नदी में उत्प्रवाह निस्तारित करने वाले कुल 05 उद्योग चिन्हित किये गये हैं। इनमें से 01 पेपर उद्योग, 01 चीनी उद्योग एवं 03 अन्य उद्योग हैं। समस्त उद्योगों में पूर्ण उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र स्थापित है तथा यह मानकों के अनुरूप उत्प्रवाह का शुद्धीकरण करने के पश्चात् ही निस्तारण करते हैं।

जनपद प्रतापगढ़ में घरेलू मल-जल के शुद्धीकरण हेतु उ0 प्र0 जल निगम द्वारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

बोर्ड द्वारा सई नदी की जल गुणता का अनुश्रवण 06 बिन्दुओं पर किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर विकास विभाग में प्राप्त स्थानीय निकाय की सूचना पर रिकवरी के कथित आदेश के सम्बन्ध में जानकारी

59-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1997 से 2000 के बीच नगर विकास विभाग के विशेष सचिव, आर0 के0 सिंह के कार्यालय में अधिष्ठापित फैक्स से प्रदेश की 689 स्थानीय निकायों में सूचना भेजी जाती थी ? यदि हां, तो क्या यह सही है बिना जांच के उनके कार्या0 के फैक्स को निजी समझकर 1997 में उनके ऊपर रिकवरी निकाल दी गई ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर वसूली गयी धनराशि वापस करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा विशेष सचिव स्तर के अधिकारियों को उनके कार्यालय हेतु फैक्स की सुविधा अनुमन्य नहीं करायी गयी है।

कार्यालय हेतु अनुमन्य दूरभाष/फैक्स पर कोई वसूली नहीं की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर नगर में कतिपय जीर्ण-शीर्ण मार्गों को ठीक कराये जाने की मांग

60-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर नगर में हुण्डाल खेल में अम्बा टाकीज के सामने वाला मार्ग, सिन्जई में पेट्रोल पम्प से मिला हुआ दक्खिन वाला मार्ग मोहल्ला सदर बाजार में रचना मुफतलाल की दुकान से मिला हुआ पूरब की ओर जाने वाला मार्ग एवं मो0 हुसैनपुरा में मिशन स्कूल की फील्ड से उत्तर वाले मार्ग अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण हो गऐ हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्गों को लेपन स्तर तक ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

मोहल्ला सदर बाजार में रचना मुफतलाल की दुकान से मिला हुआ पूरब की ओर जाने वाले मार्ग की मरम्मत का कार्य पूर्ण हो गया है। शेष मार्गों की मरम्मत का कार्य स्वीकृत है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर की अधूरी सीवर लाइन को पूर्ण कराये जाने की मांग

61-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर नगर की अधूरी सीवर लाइन को कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

शाहजहांपुर नगर की अधूरी सीवर लाइन के अवशेष कार्यों को पूर्ण करने हेतु पुनरीक्षित प्राक्कलन रु0 29.90 करोड़ जल निगम द्वारा तैयार किया गया है। अवशेष कार्यों को पूर्ण कराया जाना धन की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के मवैया पुल से एवरेडी चौराहे तक की पतली सड़क को चौड़ी किये जाने की मांग

62-श्री विद्या सागर गुप्ता-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित मिल रोड मवैया पुल से लेकर एवरेडी चौराहे तक सड़क बहुत पतली है जिस पर भारी और छोटे वाहनों का आवागमन बहुत अधिक है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस सड़क का चौड़ीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

प्रश्नगत मार्ग प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग का है, जिसका रख-रखाव लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

लखनऊ महानगर में सफाई कर्मचारियों की हाजिरी व सफाई व्यवस्था के सम्बन्ध में जानकारी

63-श्री विद्या सागर गुप्ता-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ महानगर की अधिकांश गली, नालियां तथा नाले कूड़े से भरे हुये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रत्येक वार्ड के स्वास्थ्य अधिकारी एवं बीट इन्चार्ज द्वारा उस वार्ड के सफाई कर्मचारियों की हाजिरी प्रातः उसी वार्ड में लेकर सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं।

सफाई कर्मचारियों की उपस्थिति उसी वार्ड के सम्बन्धित कार्य पर्यवेक्षक, सफाई एवं खाद्य निरीक्षक द्वारा ली जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के गोमतीनगर विस्तार में एक शवदाह गृह बनवाये जाने की मांग

64-श्री विद्या सागर गुप्ता-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित गोमती नगर विस्तार में एक शवदाह गृह की आवश्यकता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर शवदाह गृह बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

प्रश्नगत स्थल लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधीनस्थ है, जो लखनऊ नगर निगम को हस्तान्तरित नहीं है जिसका उत्तरदायित्व लखनऊ विकास प्राधिकरण का है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

लखनऊ में जी0पी0ओ0 के पास बने चौराहे में यातायात व्यवस्था सुव्यस्थित करने की मांग

65-चौ0 रवीन्द्र प्रताप-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर में विधान सभा के गेट नं0 9 के पास स्थित जी0पी0ओ0 के पास बने चौराहे के कारण यातायात व्यवस्था अव्यवस्थित होने के कारण बराबर जाम लगता रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार यातायात व्यवस्था सुव्यवस्थित करने हेतु कोई कारगर व्यवस्था करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी नहीं। यदा-कदा जाम रहता था।

यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित किये जाने हेतु जी0पी0ओ0 पार्क एवं कैपिटल सिनेमा हाल के मध्य निर्मित रोटरी की परिधि को छोटा कर दिया गया है जिससे जाम की समस्या से काफी हद तक निजात पा लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

66-चौ0 रवीन्द्र प्रताप-

[1ले शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न सं0-39 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उत्तर प्रदेश सचिवालय के पुस्तकालयों के सूचीकार का वेतन केन्द्रीय सचिवालय के पुस्तकालय के अनुसार किये जाने की मांग

67-श्री सुधीर कुमार-

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सचिवालय के पुस्तकालयों में कार्यरत ''सूचीकार'' के पद का वेतन केन्द्रीय सचिवालय के पुस्तकालय में कार्यरत सूचीकार के वेतन के बराबर है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार प्रदेश में उक्त पद का वेतनमान केन्द्र सरकार के समान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी वर्मा-

सचिवालय प्रशासन के नियंत्रणाधीन सचिवालय पुस्तकालय में वर्तमान में सूचीकार का पद उपलब्ध न होने के कारण केन्द्रीय सचिवालय के सूचीकार पद के समान वेतनमान दिये जाने की स्थिति नहीं बनती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

68-श्री सुधीर कुमार-

[एक से अधिक विभागों से सम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

लखनऊ नगर में उमराव धर्मशाला के नीचे से जाने वाले नाले पर बने अवैध निर्माण को तुड़वाकर आर0सी0सी0 पाइप डालकर सड़क चौड़ीकरण करने की मांग

69-चौ0 रवीन्द्र प्रताप-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ नगर में बाबूगंज पार्क के पास स्थित सुलभ शौचालय के सामने से उमराव धर्मशाला के नीचे से जाने वाले नाले के ऊपर कुछ लोगों द्वारा अवैध निर्माण कराने के कारण नाले की सफाई का कार्य नहीं हो पाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नाले पर बने निर्माण को तुड़वाकर नाले में आर0सी0सी0 पाइप डालते हुए उक्त रोड का चौड़ीकरण करवायेगी ? क्या सरकार उक्त मोहल्ले की सोहनलाल की चक्की से उक्त नाले के पास स्थित मकान नं0 495/85 से आगे तक सड़क बनवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

आर0सी0सी0 पाइप डालकर उक्त सड़क के चौड़ीकरण की सम्प्रति कोई योजना नहीं है।

वर्तमान में सड़क बनाने की कोई योजना नहीं है।

नगर निगम की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होने पर विचार किया जा सकता है।

लखनऊ नगर के डालीगंज में नन्हे मिष्ठान भण्डार से पुल तक रोड चौड़ीकरण करने की मांग

70-चौ0 रवीन्द्र प्रताप-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ नगर में स्थित डालीगंज रोड पर नन्हे मिष्ठान भण्डार से डालीगंज पुल तक की रोड काफी सकरी होने के कारण दिन में कई बार जाम लग जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रोड का चौड़ीकरण करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

उक्त सड़क लोक निर्माण विभाग के अधीन है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

लखनऊ नगर के मायानगर मोहल्ले की खराब स्ट्रीट लाइटें ठीक कराकर क्षतिग्रस्त आर0सी0सी0 व नाली निर्माण कराये जाने की मांग

71-चौ0 रवीन्द्र प्रताप-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर में स्थित मायानगर मोहल्ले के मायानगर महल वाली रोड पर लगी कितनी स्ट्रीट लाइटें खराब हैं ? क्या सरकार खराब स्ट्रीट लाइटों को ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार मायानगर के मायानगर महल वाली क्षतिग्रस्त आर0सी0सी0 रोड को पुनः आर0सी0सी0 एवं पक्की गहरी नाली का निर्माण करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

डालीगंज स्थित मायानगर महल वाली रोड पर 40 वाट की 12 ट्यूब फिटिंग, 250 वाट की 8 सोडियम फिटिंग तथा 70 वाट की 1 सोडियम फिटिंग लगी है तथा समस्त मार्ग प्रकाश बिन्दु वर्तमान में प्रज्वलित हैं।

वर्तमान में उक्त स्थल पर लगे समस्त मार्ग प्रकाश बिन्दु प्रज्वलित हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर निगम की वित्तीय स्थिति ठीक न होने के दृष्टिगत उक्त कार्य फिलहाल कराया जाना संभव नहीं है। धन की उपलब्धता होने पर प्रश्नगत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर में व्यापार कर कार्यालय को मानक के अनुसार बनवाये जाने की मांग

72-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या कर एवं निबन्धन मंत्री को जानकारी है कि जनपद शाहजहांपुर से लगभग सौ करोड़ रुपया व्यापार कर/वैट के रूप में हर वर्ष रिकवर होने के बाद भी व्यापार कर कार्यालय छोटा होने के कारण यहां पर बैठने की समुचित व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कार्यालय को मानक के अनुरूप बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

जनपद शाहजहांपुर में मानक के अनुरूप भवन निर्माण कराया जाना वित्तीय संसाधनों एवं उपयुक्त भूमि की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत समय-सीमा निश्चित किया जाना संभव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के मोतीझील स्थित बूचड़खाने को स्थानान्तरित कर यूटिलाइजेशन प्लान्ट स्थापित कराये जाने की मांग

73-श्री विद्या सागर गुप्ता-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मालवीय नगर वार्ड, लखनऊ के मोतीझील में स्थित बूचड़खाने को स्थानान्तरित कर उसकी जगह एक आधुनिक पशु वधशाला एवं काराकस यूटिलाइजेशन प्लान्ट की स्थापना करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

नगर निगम लखनऊ के द्वारा ग्राम सलेमपुर पतौरा, परगना काकोरी, जनपद लखनऊ में पी0पी0पी0 माडल के आधार पर आधुनिक पशुवधशाला का निर्माण किये जाने हेतु 5.145 हे0 भूमि का चयन किया जा चुका है। नगर निगम लखनऊ को अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग द्वारा निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धान्तों/दिशा-निर्देशों के अनुरूप परीक्षण कर प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं। पी0पी0पी0 माडल के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्य में जब तक उपयुक्त प्रस्ताव प्राप्त नहीं होता तब तक कार्यवाही पूरी नहीं की जा सकती है। अतः समय-सीमा का निर्धारण नहीं किया जा सकता है।

प्रदेश में सीवर/जलापूर्ति पाइप डालने हेतु खोदी गई सड़कों को बनवाये जाने की मांग

74-श्री विद्या सागर गुप्ता-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सीवर अथवा जलापूर्ति पाइप डालने हेतु सड़कों को खोद दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन क्षतिग्रस्त सड़कों को बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के कार्यक्रम के अन्तर्गत सीवर एवं जलापूर्ति की परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु पाइप लाइन डाली जाती है, जिसमें यथावश्यक सड़कों को खोदा जाता है तथा खोदने

के तत्काल बाद उसे समतल कर पूर्व की स्थिति में लाये जाने के निर्देश है। शासनादेश संख्या-339सीजीए/नौ-5-11-18(20)/2011 दिनांक 19-4-2011 द्वारा आदेश निर्गत किये गये हैं कि जो संस्था नगरों में सीवर लाइन अथवा पेयजल पाइप लाइन डालने हेतु रोड कटिंग करेगी, वही संस्था काटी गयी सड़कों को पुर्नस्थापित करेगी। इसके लिये वह सड़कों को पुरानी स्थिति में लाने हेतु उसकी समुचित मरम्मत करेगी। तद्नुसार क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत की कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद के स्व0 रमेश बाबू शर्मा के आश्रितों को उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग द्वारा पेंशन दिलाये जाने की मांग

75-श्री कृष्ण गोपाल पटेल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में तैनात जनपद गाजियाबाद के स्व0 रमेश बाबू शर्मा के आश्रितों की असाधारण पेंशन का मामला गृह विभाग में पुनर्विचार हेतु लम्बित है ? क्या यह सही है कि उनकी ड्यूटी/कर्तव्य पालन के दौरान मृत्यु होने की दशा में जनपद पुलिस मुख्यालय तथा महालेखाकार, इलाहाबाद से संस्तुति सहित प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो क्या उनके आश्रितों को असाधारण पेंशन दे दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी नहीं।

स्व0 रमेश बाबू शर्मा की मृत्यु कर्तव्य पालन के दौरान नहीं हुई थी बल्कि शासकीय कार्य के दौरान अनधिकृत रूप से अपने आवास पर गये थे, जहां उनकी तबियत खराब हुई और उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गयी। महालेखाकार ने उनकी मृत्यु को प्राकृतिक मृत्यु मानते हुए उनके आश्रितों को असाधारण पेंशन की संस्तुति नहीं की थी।

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के गांवों में मनरेगा अन्तर्गत निर्मित तालाब के रख-रखाव के सम्बन्ध में जानकारी

76-श्री सुधीर कुमार-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के गांवों में बहुआयामी उद्देश्यों से मनरेगा के तहत बने तालाब रख-रखाव के अभाव में समाप्त हो रहे हैं ? यदि हां, तो क्या इन्हें बचाने के लिए सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के राज्य कर्मचारियों की भांति पुलिस विभाग में कर्मियों को मकान भत्ता अनुमन्य कराये जाने की मांग

77-डा0 राजेन्द्र सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के राज्य कर्मचारियों से विपरीत पुलिस विभाग में तैनात कर्मियों को मकान किराया भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में अलग से कोई शासनादेश निर्गत हुआ है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? क्या यह सत्य है कि रिजर्व पुलिस लाइन में सेवारत कर्मियों को मकान किराया भत्ता पूर्णकालिक न देकर उनके लिखित अनुरोध पर प्रति छः माह के लिए ही स्वीकृत किया जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार पुलिस विभाग में सेवारत कर्मियों को भी राज्य सरकार के अन्य सेवारत कर्मियों की भांति ही मकान किराया भत्ता अनुमन्य कराने हेतु आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी नहीं।

इस हेतु वर्तमान में कोई व्यवस्था नहीं है।

वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के वार्ड बालागंज में कार्यरत सफाई कर्मियों की संख्या एवं नियमित सफाई कराये जाने की मांग

78-चौ0 रवीन्द्र प्रताप-

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ के वार्ड बालागंज में मोहल्ला सरफराजगंज (ठाकुरगंज) में वर्तमान में कितने सफाई कर्मी कार्यरत हैं ? क्या यह सही है कि सरफराजगंज में सड़कों की सफाई न होने के कारण भयंकर बीमारियां फैल रही हैं ? क्या यह भी सही है कि हर बृहस्पतिवार को जिन्नातों वाली मस्जिद में सैकड़ों श्रद्धालु आते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर नियमित सफाई कर्मियों की तैनाती कर, सफाई की व्यवस्था करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

उक्त क्षेत्र में वर्तमान में कुल 23 सफाई कर्मी कार्यरत हैं।

जी नहीं।

जी हां।

प्रश्नगत क्षेत्र की नियमित सफाई करायी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

79-चौ0 रवीन्द्र प्रताप-

[एक से अधिक विभागों से सम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

लखनऊ के शिवानी विहार, कल्याणपुर में ओवर हेड टैंक से नियमित जलापूर्ति कराये जाने की मांग

80-चौ0 रवीन्द्र प्रताप-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिवानी विहार, कल्याणपुर, लखनऊ को ओवरहेड टैंक से प्रतिदिन केवल एक ही बार पेयजल की आपूर्ति की जाती है ? क्या यह भी सही है कि गर्मियों के 8 महीनों में उक्त क्षेत्र के ऊंचाई वाले क्षेत्र शिवानी विहार में प्रत्येक महीने कई-कई दिनों तक पेयजल उपलब्ध नहीं हो पाता है ? क्या उक्त समस्या के निराकरण के सम्बन्ध में चौ0 रवीन्द्र प्रताप, सदस्य, विधान सभा का पत्र दिनांक 13-10-11 संलग्नक सहित नगर विकास मंत्री को एवं श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, सदस्य, विधान सभा का पत्र दिनांक 20-10-11 संलग्नक सहित मा0 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं। ओवर हेड टैंक से ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर दो बार जलापूर्ति की जाती है। ग्रीष्म ऋतु में ओवर हेड टैंक से एक बार जलापूर्ति होती है तथा नलकूप से दोनों समय सीधे जलापूर्ति की जाती है।

जी नहीं।

चौधरी रवीन्द्र प्रताप, मा0 सदस्य विधान सभा का पत्र दिनांक 13-10-2011 संलग्न सहित प्राप्त हुआ है। श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, मा0 सदस्य विधान सभा का पत्र दिनांक 20-10-2011 प्राप्त नहीं हुआ है। चौधरी रवीन्द्र प्रताप के पत्र के साथ प्राप्त नागरिकों के पत्र में एक नवनिर्मित ओवर हेड टैंक एवं 4 नलकूप से जलापूर्ति कराने का अनुरोध किया गया है। उक्त ओवर हेड टैंक एवं नलकूप आदिल नगर योजना के हैं, जिनसे इस क्षेत्र को जलापूर्ति कराया जाना संभव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

81-श्री रामपाल राजवंशी-

[1ले गुरुवार के अतारांकित प्रश्न सं0-22 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद शाहजहांपुर नगर के मो0 कच्चा कटरा में कतिपय मार्गों की मरम्मत कराये जाने की मांग

82-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर नगर के मो0 कच्चा कटरा में बाबूराम के मकान से हाजी जी के पेट्रोल पम्प को जाने वाला मार्ग मो0 हुन्डाल खेल में अम्बा टाकीज वाला मार्ग, सुभाष नगर कालोनी मेन रोड, बाबू जेई मोहल्ले में यादवों के घर के सामने वाला मुख्य मार्ग अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण है ? यदि हां, तो इन मार्गों की मरम्मत करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

जी हां। इन मार्गों की मरम्मत का कार्य स्वीकृत है।

प्रश्न नहीं उठता।

(12 बजकर 20 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव सर्वप्रथम लिए जाने की मांग (क्रमागत)

(विपक्ष के सभी सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर सरकार विरोधी नारे लिखे हुए बैनर दिखाने लगे और सरकार विरोधी नारे लगाने लगे।)

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी,

श्री अध्यक्ष-

कृपया स्थान ग्रहण कर लें।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, हमने अविश्वास का प्रस्ताव दिया है।

श्री अध्यक्ष-

अभी समय है। माननीय चौधरी साहब, लेखानुदान प्रस्तुत हो जाने दीजिये। इसके बाद हम देखते हैं। शांतिपूर्ण ढंग से सदन चलने दीजिये। लेखानुदान के लिये महामहिम राज्यपाल महोदय ने 12.20 का समय निर्धारित किया है।

(विरोधी दल के सदस्यगण अपनी-अपनी सीटों से सदन के फ्लोर पर आकर जोर-जोर से नारे लगाने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

वित्तीय वर्ष 2012-2013 का आय-व्ययक (अन्तरिम)

श्री अध्यक्ष-

माननीय वित्त मंत्री जी,

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं वित्तीय वर्ष 2012-2013 का बजट इस सम्मानित सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं।

(प्रतियां वितरित की गयी।)

यह अन्तरिम बजट है, जिसमें केवल वचनबद्ध व्यय के अनुमान सम्मिलित किये गये हैं। इस समय पूर्ण बजट इस कारण प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है क्योंकि प्रदेश में निकट भविष्य में विधान सभा चुनाव होंगें तथा नई सरकार का गठन होगा। अतः परम्परानुसार पूर्ण बजट नई सरकार द्वारा ही सम्मानित सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

इस अंतरिम बजट पर आधारित चार महीने की अवधि का एक लेखानुदान भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 206 के अधीन उल्लिखित प्रावधानों का उपयोग करते हुए प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके साथ एक श्वेत-पत्र भी प्रस्तुत है, जिसमें इस सदन के माननीय सदस्यों के उपयोगार्थ आवश्यक सूचना का समावेश किया गया है।

मान्यवर, यह अनुमान लगाया गया है कि वित्तीय वर्ष 2012-2013 में कुल 1,91,825.52 करोड़ रुपये की प्राप्तियां होंगी, जिसमें 1,56,576.60 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्तियां, 34,630.89 करोड़ रुपये की लोक ऋणों से प्राप्तियां तथा 618.03 करोड़ रुपये की ऋणों और अग्रिमों की वसूलियों से होने वाली प्राप्तियां सम्मिलित हैं। राजस्व प्राप्तियों की 1,56,576.60 करोड़ रुपये की राशि में राज्य के अपने कर राजस्व से 62,057.06 करोड़ रुपये केन्द्रीय करों में राज्यांश से 59,707.47 करोड़ रुपये, करेतर राजस्व से 14,173.82 करोड़ रुपये तथा भारत सरकार से सहायक अनुदान के रूप में 20,638.25 करोड़ रुपये के अनुमान सम्मिलित हैं। लोक ऋणों से 34,630.89 करोड़ रुपये की अनुमानित प्राप्तियों के अन्तर्गत भारत सरकार से 1,002.79 करोड़ रुपये तथा अन्य स्रोतों से 33,628.10 करोड़ रुपये ऋण के अनुमान सम्मिलित हैं।

बजट वर्ष में फिलहाल कुल 1,86,221.41 करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है, जिसमें से 47,351.34 करोड़ रुपये का आयोजनागत पक्ष में तथा 1,38,870.07 करोड़ का व्यय आयोजनेतर पक्ष में होगा।

कुल 1,86,221.41 करोड़ रुपये के व्यय में 1,44,405.31 करोड़ रुपये का व्यय राजस्व लेखे तथा 41,816.10 करोड़ रुपये का व्यय पूंजी लेखे के अन्तर्गत अनुमानित है। पूंजी लेखे के व्यय 41,816.10 करोड़ रुपये में ऋणों के प्रतिदान के लिये 19,222.66 करोड़ रुपये, ऋणों और अग्रिमों के संवितरण के लिये 921.26 करोड़ रुपये एवं पूंजीगत परिव्यय के लिये 21,672.18 करोड़ रुपये की राशियां सम्मिलित हैं।

इस प्रकार वर्ष 2012-2013 में राज्य की समेकित निधि में सम्प्रति कुल 5,604.11 करोड़ रुपये की बचत का अनुमान है। लोक लेखे के अन्तर्गत 2,350 करोड़ रुपये की अनुमानित शुद्ध प्राप्तियों को सम्मिलित करने पर समस्त लेन-देनों का शुद्ध परिणाम 7,954.11 करोड़ रुपये हो जाने की सम्भावना है।

उपर्युक्त अन्तरिम बजट अनुमानों के आधार पर बजट वर्ष का 8,494.37 करोड़ रुपये का प्रारम्भिक शेष 16,448.48 करोड़ रुपये के अन्तिम शेष से समाप्त होने का अनुमान है। वित्तीय वर्ष 2012-2013 के अन्तिम शेष का वास्तविक अनुमान सम्पूर्ण बजट को अन्तिम रूप दिये जाने के उपरान्त उपलब्ध हो सकेगा।

चूंकि यह अन्तरिम बजट है, अतः मैं इस चरण में माननीय सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहूंगा। मेरा अनुरोध है कि माननीय सदन द्वारा इस अन्तरिम बजट का अनुमोदन प्रदान करते हुए लेखानुदान पारित किया जाय।

मान्यवर, मैं वर्ष 2012-2013 का बजट तथा चार महीने की अवधि के लिये लेखानुदान प्रस्तुत करता हूं।

(सत्ता पक्ष की तरफ से मेजें थपथपाई गई)

(घोर व्यवधान के मध्य)

वित्तीय वर्ष 2012-2013 के एक भाग के लिए लेखानुदान का प्रस्ताव

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष 2012-2013 के माह अप्रैल, मई, जून व जुलाई, 2012 में उत्तर प्रदेश सरकार के व्यय के लिये लेखानुदान का विवरण, जो 21 नवम्बर, 2011 को सदन में प्रस्तुत किया गया, के पृष्ठ 1-7 में दिये हुये प्रत्येक विभाग या सेवा या खर्च की मद के सम्बन्ध में होने वाले अनुमानित व्यय को चुकाने के लिये राज्यपाल महोदय को इस लेखानुदान द्वारा उतनी धनराशि पेशगी दी जाय जो, (रुपये 54762,24,23,000) रुपये चौवन हजार सात सौ बासठ करोड़ चौबीस लाख तेइस हजार से अधिक न हो।

श्री अध्यक्ष-

प्रतियां बांट दी जायं।

(प्रतियां वितरित की गईं)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष 2012-2013 के माह अप्रैल, मई, जून व जुलाई, 2012 में उत्तर प्रदेश सरकार के व्यय के लिये लेखानुदान का विवरण, जो 21 नवम्बर, 2011 को सदन में प्रस्तुत किया गया, के पृष्ठ 1-7 में दिये हुये प्रत्येक विभाग या सेवा या खर्च की मद के सम्बन्ध में होने वाले अनुमानित व्यय को चुकाने के लिये राज्यपाल महोदय को इस लेखानुदान द्वारा उतनी धनराशि पेशगी दी जाय जो (रुपये 54762,24,23,000) रुपये चौवन हजार सात सौ बासठ करोड़ चौबीस लाख तेइस हजार से अधिक न हो ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2011†

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2011 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2011 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

---

† दिनांक 15 दिसम्बर, 2011 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2011 को पुरःस्थापित करता हूं।

(प्रतियां वितरित की गयीं।)

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2011 पर विचार किया जाय ?

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2011 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक अनुसूची, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2011

01 अप्रैल, 2012 ई0 को प्रारम्भ होने वाले वर्ष के एक भाग के व्यय के लिए राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के निकालने की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 2011 कहलायेगा। — संक्षिप्त नाम

2-ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त जो 01 अप्रैल, 2012 को प्रारम्भ होने वाले वर्ष में किये जाने वाले भुगतान के सम्बन्ध में करने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से उतना रुपया निकाला जा सकता है जितना की अनुसूची के स्तम्भ-3 में दी हुई धनराशियों से, जिन सबका कुल योग 70733,60,68,000 रुपये (सत्तर हजार सात सौ तैंतीस करोड़ साठ लाख अड़सठ हजार रुपये मात्र) होता है, अधिक न हो। — उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से वर्ष 2012-2013 के लिए 70733,60,68,000 रुपये का दिया जाना

3-इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से, जिन धनराशियों को निकालने का अधिकार दिया गया है, उन-उन धनराशियों का विनियोग उन्ही सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो उक्त वर्ष के सम्बन्ध में अनुसूची में दिये गये हैं। — विनियोग

अनुसूची

(धारा 2 और 3 देखें)

1	2	3		
अनुदान सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (हजार रुपयों में)		
क्रम संख्या		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
01	आबकारी विभाग	राजस्वः 395020	667	395687
		पूंजीः ———	———	0
02	आवास विभाग	राजस्वः 736191	18294	754485
		पूंजीः 1656959	35435	1692394
03	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	राजस्वः 383125	200	383325
		पूंजीः 7183	———	7183
04	उद्योग विभाग (खानें और खनिज)	राजस्वः 76156	———	76156
		पूंजीः 23333	———	23333
05	उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग)	राजस्वः 219618	———	219618
		पूंजीः ———	———	0
06	उद्योग विभाग (हथरघा उद्योग)	राजस्वः 135971	———	13971
		पूंजीः ———	———	0
07	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	राजस्वः 697625	———	697625
		पूंजीः 320000	———	320000
08	उद्योग विभाग (मुद्रण एवं लेखन–सामग्री)	राजस्वः 446497	———	446497
		पूंजीः 1667	———	1667
09	ऊर्जा विभाग	राजस्वः 21612542	159390	21771932
		पूंजीः 10924868	161894	11086762
10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)	राजस्वः 602419	3752	606171
		पूंजीः 13333	———	13333
11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	राजस्वः 9252058	507	9252565
		पूंजीः 2002483	———	2002483
12	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)	राजस्वः 1500132	———	1500132
		पूंजीः ———	———	0
13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	राजस्वः 7254277	433	7254710
		पूंजीः 5046012	———	5046012
14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	राजस्वः 13679587	———	13679587
		पूंजीः 3363567	———	3363567
15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	राजस्वः 1583666	460	1584126
		पूंजीः 57150	———	57150

1	2	3		
अनुदान सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (हजार रुपयों में)		
क्रम संख्या		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)	राजस्वः 142257 पूंजीः ——	3 ——	142260 0
17	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	राजस्वः 223685 पूंजीः ——	—— ——	223685 0
18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	राजस्वः 709495 पूंजीः 32707	17229 46798	726724 79505
19	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)	राजस्वः 29504 पूंजीः ——	—— ——	29504
20	कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)	राजस्वः 6282 पूंजीः ———	102933 167	109215 167
21	खाद्य तथा रसद विभाग	राजस्वः 231219 पूंजीः 43898610	——— 6349743	231219 50248353
22	खेल विभाग	राजस्वः 153608 पूंजीः 107269	——— ———	153608 107269
23	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	राजस्वः 462717 पूंजीः ——	50 ———	462767 0
24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उंद्योग)	राजस्वः 163411 पूंजीः 631200	——— ———	163411 631200
25	गृह विभाग (कारागार)	राजस्वः 1238178 पूंजीः 433677	333 ———	1238511 433677
26	गृह विभाग (पुलिस)	राजस्वः 30610229 पूंजीः 2052356	167 ———	30610396 2052356
27	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	राजस्वः 1621064 पूंजीः 35394	——— ———	1621064 35394
28	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	राजस्व 379590 पूंजी 1000	——— ———	379590 1000
*29	गोपन विभाग (राज्यपाल सचिवालय)	राजस्व ——— पूंजी ———	30260 ———	30260 0
30	गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)	राजस्वः 11969 पूंजीः ——	——— ———	11969 0
31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	राजस्वः 3498414 पूंजीः 2140168	——— ———	3498414 2140168
32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)	राजस्वः 9852087 पूंजीः 1411824	667 ———	9852754 1411824

*भारित विनियोग से सम्बन्धित क्रम-संख्या।

1	2	3			
अनुदान सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (हजार रुपयों में)			
क्रम संख्या			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
33	चिकित्सा विभाग	राजस्वः	1441807	———	1441807
	(आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)	पूंजीः	74090	———	74090
34	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)	राजस्वः	646857	———	646857
		पूंजीः	13196	———	13196
35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	राजस्वः	5233875	533	5234408
		पूंजीः	———	———	0
36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	राजस्वः	1438921	67	1438988
		पूंजीः	———	———	0
37	नगर विकास विभाग	राजस्वः	4096526	———	4096526
		पूंजीः	6714167	———	6714167
38	नागरिक उड्डयन विभाग	राजस्वः	105346	———	105346
		पूंजीः	254667	———	254667
39	भाषा विभाग	राजस्वः	35035	———	35035
		पूंजीः	———	———	0
40	नियोजन विभाग	राजस्वः	873170	———	873170
		पूंजीः	3364195	———	3364195
41	निर्वाचन विभाग	राजस्वः	808905	———	808905
		पूंजीः	———	———	0
42	न्याय विभाग	राजस्वः	3697074	647348	4344422
		पूंजीः	959808	———	959808
43	परिवहन विभाग	राजस्वः	327899	———	327899
		पूंजीः	29065	———	29065
44	पर्यटन विभाग	राजस्वः	71506	———	71506
		पूंजीः	292810	———	292810

1	2	3			
अनुदान सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (हजार रुपयों में)			
क्रम संख्या			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
45	पर्यावरण विभाग	राजस्वः	24332	———	24332
		पूंजीः	———	———	0
46	प्रशासनिक सुधार विभाग	राजस्वः	32673	———	32673
		पूंजीः	———	———	0
47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	राजस्वः	680087	34	680121
		पूंजीः	519500	———	519500
48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	राजस्वः	2722421	68	2722489
		पूंजीः	1280225	———	1280225
49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	राजस्वः	14883453	3	14883456
		पूंजीः	10000	———	10000
50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	राजस्वः	1724397	567	1724964
		पूंजीः	190000	———	190000
51	राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)	राजस्वः	1505890	———	1505890
		पूंजीः	33333	———	33333
52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	राजस्वः	6225882	626	6226508
		पूंजीः	615	350	965
53	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	राजस्वः	5830	———	5830
		पूंजीः	33	———	33
54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	राजस्वः	5025341	133	5025474
		पूंजीः	———	———	0
55	लोक निर्माण विभाग (भवन)	राजस्वः	122967	8846	131813
		पूंजीः	88133	3500	91633
56	लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम)	राजस्वः	———	———	0
		पूंजीः	366667	———	366667
57	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन सेतु)	राजस्वः	50000	———	50000
		पूंजीः	2713652	———	2713652

1	2		3		
अनुदान सेवायें और प्रयोजन			निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (हजार रुपयों में)		
क्रम संख्या			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन सड़कें)	राजस्वः	5803167	167	5803334
		पूंजीः	8141834	18500	8160334
59	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	राजस्वः	374099	———	374099
		पूंजीः	259653	———	259653
60	वन विभाग	राजस्वः	1329159	457	1329616
		पूंजीः	412582	———	412582
61	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	राजस्वः	23352733	90910883	114263616
		पूंजीः	938002	60179101	61117103
62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें)	राजस्वः	43279218	55046	43334264
		पूंजीः	500000	———	500000
63	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	राजस्वः	661050	———	661050
		पूंजीः	———	———	0
65	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प–बचत आदि)	राजस्वः	543642	———	543642
		पूंजीः	267	———	267
66	वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)	राजस्व	9416	546871	556287
		पूंजी	———	———	0
67	विधान परिषद् सचिवालय	राजस्वः	97497	1790	99287
		पूंजीः	133	———	133
68	विधान सभा सचिवालय	राजस्वः	274542	2846	277388
		पूंजीः	400	———	400
69	व्यावसायिक शिक्षा विभाग	राजस्वः	749070	———	749070
		पूंजीः	100083	———	100083
70	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	राजस्वः	188190	———	188190
		पूंजीः	———	———	0
71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	राजस्वः	83706100	———	83706100
		पूंजीः	1	———	1
72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	राजस्वः	23077514	90	23077604
		पूंजीः	299120	———	299120
73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	राजस्वः	7632084	33	7632117
		पूंजीः	228335	———	228335
75	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)	राजस्व	281974	———	281974
		पूंजी	334	———	334

1	2	3			
अनुदान सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (हजार रुपयों में)			
क्रम संख्या			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	राजस्व	3409776	———	3409776
		पूंजी	———	———	0
77	श्रम विभाग (सेवायोजन)	राजस्वः	181610	———	181610
		पूंजीः	875	———	875
78	सचिवालय प्रशासन विभाग	राजस्वः	1488942	———	1488942
		पूंजीः	15500	———	15500
79	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं	राजस्वः	5334388	———	5334388
	पिछड़ा वर्ग कल्याण)	पूंजीः	1718990	———	1718990
80	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण	राजस्वः	15342208	———	15342208
	एवं अनुसूचित जातियों का कल्याणं)	पूंजीः	———	———	0
81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति	राजस्वः	281189	3	281192
	कल्याण)	पूंजीः	99991	———	99991
82	सतर्कता विभाग	राजस्वः	112899	10812	123711
		पूंजीः	9996	———	9996
83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित	राजस्वः	21338918	———	21338918
	जातियों के लिये विशेष घटक योजना)	पूंजीः	19007169	———	19007169
84	सामान्य प्रशासन विभाग	राजस्वः	5740	———	5740
		पूंजीः	———	———	0
85	सार्वजनिक उद्यम विभाग	राजस्वः	14928	———	14928
		पूंजीः	———	———	0
86	सूचना विभाग	राजस्वः	495402	———	495402
		पूंजीः	———	———	0
87	सैनिक कल्याण विभाग	राजस्वः	133066	———	133066
		पूंजीः	2667	———	2667
88	संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)	राजस्वः	17638	———	17638
		पूंजीः	———	———	0
89	संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर)	राजस्वः	1454349	293919	1748268
		पूंजीः	28071	———	28071
90	संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन	राजस्वः	202544	———	202544
	तथा बाजीकर)	पूंजीः	———	———	0
91	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं	राजस्वः	602258	1	602259
	पंजीकरण)	पूंजीः	———	———	0

1	2	3		
अनुदान सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (हजार रुपयों में)		
क्रम संख्या		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
92	संस्कृत विभाग	राजस्वः 116178	2	116180
		पूंजीः 104167	–––	104167
94	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	राजस्वः 6986176	–––	6986176
		पूंजीः 7741312	100000	7841312
95	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	राजस्वः 8381574	1667	8383241
		पूंजीः –––	–––	0
	योग	**राजस्वः 416948025**	**92818157**	**509766182**
		पूंजीः 130674398	**66895488**	**197569886**
	महायोग :	**547622423**	**159713645**	**707336068**

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, अनुसूची, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2011 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2011 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 20 नवम्बर, 2011 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 21 नवम्बर, 2011 से 22 नवम्बर, 2011 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं :-

<u>नवम्बर, 2011</u>

21 सोमवार 1-12.20 बजे अपराह्न

(1) वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक (अन्तरिम) का प्रस्तुतिकरण।

(2) वित्तीय वर्ष 2012-2013 के एक भाग के लिये लेखानुदान का प्रस्तुतिकरण।

2-वित्तीय वर्ष 2012-2013 के एक भाग के लिये लेखानुदान सम्बन्धी प्रस्ताव का प्रस्तुतिकरण, उस पर विचार, मांगों पर मतदान तथा तत्संबंधी विनियोग विधेयक का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।

3-अन्य कार्य, यदि कोई हो।

22 मंगलवार 1-औपचारिक कार्य, यथा अध्यादेशों, अधिसूचनाओं, नियमों आदि का सदन के पटल पर रखा जाना, विधेयकों का पुरःस्थापन आदि, यदि कोई हो।

2-विधायी कार्य।

3-अन्य कार्य, यदि कोई हो।

(घोर व्यवधान के मध्य)

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्तव, जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्न रूपेण योग्य हेतु) उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2011†

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्न रूपेण योग्य हेतु) उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2011 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्न रूपेण योग्य हेतु) उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2011 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्न रूपेण योग्य हेतु) उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2011 को पुरःस्थापित करता हूं।

(सदन के फ्लोर पर खड़े सदस्य लगातार नारे लगाते एवं बैनर दिखाते रहे जिससे सदन में घोर व्यवधान बना रहा)

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के संगत प्राविधानों को शिथिल करते हुए डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्न रूपेण योग्य हेतु) उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2011 पर विचार एवं पारण की मदें आज ही लिये जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के संगत प्राविधानों को शिथिल करते हुए डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्न रूपेण योग्य हेतु) उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2011 पर विचार एवं पारण सम्बन्धी मदें आज ही ले ली जायें।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के संगत प्राविधानों को शिथिल करते हुए डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्न रूपेण योग्य हेतु) उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2011 पर विचार एवं पारण सम्बन्धी मदें आज ही ले ली जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

---

† दिनांक 15 दिसम्बर, 2011 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्न रूपेण योग्य हेतु) उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमागत)

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्न रूपेण योग्य हेतु) उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2011 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्नरूपेण योग्य हेतु) उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2011 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-4 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्नरूपेण योग्य हेतु) उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2011

डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्नरूपेण योग्य हेतु) उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2009 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनया जाता है :-

संक्षिप्त नाम

1-यह अधिनियम डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्नरूपेण योग्य हेतु) उत्तर प्रदेश (संशोधन) अधिनियम, 2011 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2009 की धारा-2 का संशोधन

2- डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्नरूपेण योग्य हेतु) उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2009 की धारा-2 में जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, के खण्ड (ठ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

''(ठ) 'विश्वविद्यालय' का तात्पर्य धारा-3 के अन्तर्गत स्थापित उत्तर प्रदेश विकलांग उद्धार डा0 शकुन्तला मिश्रा विश्वविद्यालय (लखनऊ) से है।''

धारा-3 का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा-3 में उपधारा (1) में शब्द ''डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्न रूपेण योग्य हेतु)'' के स्थान पर शब्द ''उत्तर प्रदेश विकलांग उद्धार डा0 शकुन्तला मिश्रा विशविद्यालय (लखनऊ)'' रख दिया जायेगा।

धारा 3-क का बढ़ाया जाना

4-मूल अधिनियम की धारा-3 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :-

''3-क डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्नरूपेण योग्य हेतु) उत्तर प्रदेश (संशोधन) अधिनियम, 2011 के प्रवृत्त होने के प्रभाव से, इस अधिनियम अथवा किसी नियमावली, परिनियम, अध्यादेशों, कानूनी लिखत या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या किसी दस्तावेज अथवा कार्यवाही में डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्नरूपेण योग्य हेतु) के लिये किया गया कोई भी सन्दर्भ उत्तर प्रदेश विकलांग उच्चार डा0 शकुन्तला मिश्रा विश्वविद्यालय (लखनऊ) के लिये किया गया सन्दर्भ समझा जायेगा।''

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-4 तक खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(धोर व्यवधान के मध्य ही)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्नरूपेण योग्य हेतु) उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2011 परित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्नरूपेण योग्य हेतु) उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2011 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(धोर व्यवधान के मध्य)

उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन करते हुए पूर्वाचल, बुन्देलखण्ड, अवध प्रदेश एवं पश्चिम प्रदेश के नाम से चार पृथक राज्यों की स्थापना किये जाने विषयक प्रस्ताव

मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)-

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से मैं माननीय सदन में यह प्रस्ताव करती हूं कि ''यह सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन करते हुए पूर्वाचल, बुन्देलखण्ड, अवध प्रदेश एवं पश्चिम प्रदेश के नाम से चार पृथक राज्यों की स्थापना की जाए।''

(सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि ''यह सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन करते हुए पूर्वांचल, बुन्देलखण्ड, अवध प्रदेश एवं पश्चिम प्रदेश के नाम से चार पृथक राज्यों की स्थापना की जाए ?''

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(सदन की वेल में आए हुए विपक्ष के सदस्यों के द्वारा सरकार विरोधी नारेबाजी करने एवं लगातार बोलते रहने पर घोर व्यवधान जारी रहा)

लेखानुदान सम्बन्धी प्रस्ताव को ही सदन का विश्वास मत प्राप्त किया हुआ मान लिये जाने का अनुरोध

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि यह लेखानुदान पास हो गया है, अतः इसको सदन का विश्वास मत प्राप्त किया हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

मान लेते हैं, चलिए, आप लोग बैठिए।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, आप लोकतंत्र की हत्या में साझीदार मत होइए।

(वेल में आए हुए विपक्ष के कई सदस्य रिपोर्टर टेबुल के पास खड़े होकर लगातार नारेबाजी कर रहे थे। कुछ सदस्य नारे लिखे हुए बैनर दिखा रहे थे एवं अध्यक्ष पीठ की तरफ कागज के गोले फेंक रहे थे और आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे।)

(घोर व्यवधान जारी)

सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किये जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य ही)

राष्ट्रगान

श्री अध्यक्ष-

अब राष्ट्रगान।

जन-गण-मन-अधिनायक जय हे।
भारत-भाग्य विधाता।।
पंजाब-सिंधु-गुजरात-मराठा
द्राविड़-उत्कल-बंग।
विन्ध्य-हिमाचल-यमुना-गंगा,
उच्छल-जलधि-तरंग।।
तव शुभ नामे जागे,
तव शुभ आशिष मांगे।।
गाहे तव जय गाथा।।
जन-गण-मंगलदायक जय हे,
भारत-भाग्य विधाता।।
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय, जय हे।।

श्री अध्यक्ष-

अब हम अनिश्चितकाल के लिए उठते हैं।

इसके बाद सदन का उपवेशन 12 बजकर 32 मिनट पर अनिश्चितकाल के लिये स्थगित हो गया।

लखनऊ :
दिनांक 21 नवम्बर, 2011

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'†

मा0 अध्यक्ष,

विधान सभा, उत्तर प्रदेश,

लखनऊ।

मैं, आपकी अनुमति से निम्नलिखित प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत करना चाहता हूं :-

<u>प्रस्तावः-</u>

उत्तर प्रदेश का विभाजन करके एक से अधिक प्रदेशों का गठन करने के लिये लोक सभा एवं केन्द्र सरकार से अनुरोध किया जाय कि द्वितीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया जाये जिससे जनाकांक्षाओं के अनुरूप प्रदेश हित में प्रदेश को विभाजित करके छोटे प्रदेशों का गठन किया जा सके और समीपवर्ती प्रदेशों के उत्तर प्रदेश के विवादित हिस्से को उनमें शामिल किया जा सके, ताकि आंचलिक विकास की गति बढ़ सके और क्षेत्रीय असंतुलन दूर हो सके, तथा भविष्य में भाषा, संसाधन, उच्च न्यायालय, राजधानी, बिजली, पानी आदि का समुचित एवं संतुलित विभाजन हो सके, और उस नवसृजित प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो सके।

(अनुग्रह नारायण सिंह) सदस्य, विधान सभा, उ0प्र0	(अजय कपूर) सदस्य, विधान सभा, उ0प्र0	(प्ररीप माथुर) सदस्य, विधान सभा, उ0प्र0	(प्रमोद तिवारी) सदस्य, विधान सभा, उ0प्र0
(अमीता सिंह) सदस्य, विधान सभा	(शिवबालक पासी) सदस्य, विधान सभा	(राम सेवक) सदस्य, विधान सभा	(संजीव दरियाबादी) सदस्य, विधान सभा
(अजयपाल सिंह) सदस्य, विधान सभा	(विवेक कुमार सिंह) सदस्य, विधान सभा	(ईश्वर चन्द्र शुक्ला) सदस्य, विधान सभा	(विनोद चतुर्वेदी) सदस्य, विधान सभा
(पंकज मलिक) सदस्य, विधान सभा	(संजय कपूर) सदस्य, विधान सभा	(श्याम किशोर शुक्ला) सदस्य, विधान सभा	(चौधरी रवीन्द्र प्रताप) सदस्य, विधान सभा
(शिव गणेश लोधी) सदस्य, विधान सभा	(माधो पासवान) सदस्य, विधान सभा	(राजाराम त्यागी) सदस्य, विधान सभा	(अशोक सिंह) सदस्य, विधान सभा

† मा0 अध्यक्ष, विधान सभा के आदेशानुसार पत्रावली संख्या-190 (सं0)2011, पृष्ठ-1 कार्यवाही का अंग माना गया।

संलग्नक-1

नत्थी 'ख'

देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-22 का उत्तर पीछे 33-34 पृष्ठ पर

मार्गों पर स्टेट क्वालिटी मानीटर/नेशनल क्वालिटी मानीटर/स्मैक डण्डिया प्रा0 लि0 द्वारा किये गये निरीक्षण सम्बन्धी आख्या

क्र0सं0	पैकेज सं0	मार्ग का नाम	लम्बाई	निरीक्षण अधिकारी का नाम/ एस0क्यू0एम0/एन0क्यू0एम0	निरीक्षण का दिनांक	ग्रेडिंग
1	यूपी 5745	प्रतापगढ़ दिलीपपुर जामताली से जगनीपुर सम्पर्क मार्ग	21.000	इं0 शैलेन्द्र कुमार (एस0 क्यू0 एम0)	03-11-09	संतोषजनक
2	यूपी 5748	बाघराय से धनवासा वाया नारायणपुर मार्ग	11.700	इं0 विशम्भर लाल (एस0 क्यू0 एम0)	29-05-10	संतोषजनक
3		एल0बी0 मार्ग से नसीरपुर सम्पर्क मार्ग	2.000	स्मैक इण्डिया प्रा0 लि0	26-06-09	संतोषजनक
4		एल0बी0 मार्ग किमी0 166 से बनवीर काछ सम्पर्क मार्ग	1.340	स्मैक इण्डिया प्रा0 लि0	26-06-09	संतोषजनक
5	यूपी 5733 (विश्व बैंक)	पी0एम0 मार्ग से भुपियामऊ डिहवा सम्पर्क मार्ग	1.030	स्मैक इण्डिया प्रा0 लि0	26-06-09	संतोषजनक
6		यू0एफ0ए0 मार्ग से जहनईपुर सम्पर्क मार्ग	1.530	इं0बी0आर0 जयदास एवं एस0 के0 शर्मा (एन0क्यू0एम0)	16-07-09	संतोषजनक
7		पी0एम0 मार्ग से गरेहरी सम्पर्क मार्ग	1.100	स्मैक इण्डिया प्रा0 लि0	30-12-09	संतोषजनक

8		पी0एम0 मार्ग से सराय देव राय सम्पर्क मार्ग	1.400	स्मैक इण्डिया प्रा0 लि0	26-06-09	संतोषजनक
9		एम0सी0 मार्ग से तरवल सम्पर्क मार्ग	2.260	स्मैक इण्डिया प्रा0 लि0	30-12-09	संतोषजनक
10	यूपी 5741 (विश्व बैंक)	किल्हानापुर सहूमई मार्ग	21.600	स्मैक इण्डिया प्रा0 लि0	11-02-11	संतोषजनक
11	यूपी 5750	कुण्डा से हौदीश्वरनाथ मार्ग	11.000	इं0 एन0 के0 विषयी (एस0 क्यू0 एम0)	22-03-10	संतोषजनक
12	यूपी 5762	मानिकपुर से लालाबाजार मार्ग	7.000	इं0 विशम्भर लाल (एस0 क्यू0 एम0)	30-05-10	संतोषजनक
13	यूपी 5754 (विश्व बैंक)	रामपुर धारूपुर डेरवा मार्ग	10.629	स्मैक इण्डिया प्रा0 लि0	22-6-11	संतोषजनक
14	यूपी 5758	पी0जे0एल0 से बिहार बाबागंज मार्ग	20.000	इं0 एन0के0 विषयी (एस0 क्यू0 एम0)	20-03-10	संतोषजनक
15	यूपी 5762	पी0जे0एल0 से बिहार भदरी कुण्डा मार्ग	11.560	इं0 सोमेन्द्र कुमार गुणी (एस0 क्यू0 एम0)	29-06-10	संतोषजनक
16	यूपी 5753	शंकरगंज मुआरधारगंज मार्ग	16.000	इं0 एन0 के0 विषयी (एस0 क्यू0 एम0)	29-03-10	संतोषजनक
17	यूपी 5763ए	अठोहा से ननौती मार्ग	9.000	इं0 ए0के0सेठ, (एस0क्यू0एम0), (स्मैक इण्डिया प्रा0 लि0)	10-05-11	संतोषजनक

क्र0सं0	पैकेज सं0	मार्ग का नाम	लम्बाई	निरीक्षण अधिकारी का नाम/ एस0क्यू0एम0/एन0क्यू0एम0	निरीक्षण का दिनांक	ग्रेडिंग
18	यूपी 5763बी	देवरी अटेहा से जरियारी मार्ग	11.000	इं0 ए0 के0 सेठ, (एस0क्यू0एम0), (स्मैक इण्डिया प्रा0लि0)	20-01-11	संतोषजनक
19	यूपी 5764	अन्तू मांगीपुर मार्ग	8.000	इं0 विशम्भर लाल (एस0 क्यू0 एम0)	27-05-10	संतोषजनक
20	यूपी 5764	छतरपुर गौराडांड से पूरे बैरासाल मार्ग	8.000	इं0 ए0 के0 सेठ, (एस0 क्यू0 एम0) (स्मैक इण्डिया प्रा0 लि0)	19-01-11	संतोषजनक
21	यूपी 5768	रखहा बाजार से कोहड़ौर मार्ग	15.000	इं0 विशम्भर लाल (एस0 क्यू0 एम0)	26-05-10	संतोषजनक
22	यूपी 5769	हल्लूपुर से सी0एम0एस0 से अमरी मार्ग	15.000	इं0 विशम्भर लाल (एस0 क्यू0 एम0)	26-05-10	संतोषजनक

नत्थी 'ग'

देखिये अता0प्रश्न संख्या-36 का उत्तर पीछे पृष्ठ 39 पर।

विधान सभा के तृतीय सत्र 2011 के प्रथम सोमवार के लिये निर्धारित श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, मा0 स0वि0स0 द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-36 के उत्तर का संलग्नक।

क्र0सं0	वर्ष	लक्ष्य	पूर्ति	परियोजना का विवरण	
				पूर्ति स्वरोजगारी संख्या	परियोजना का नाम
1	2010-11	600	135	10	डेयरी
				9	घोड़ा गाड़ी
				2	फर्नीचर उद्योग
				1	समरसेबूल पम्पसेट
				46	पोट्रीफार्म (समूह में)
				3	साइकिल पार्ट
				3	कम्प्यूटर फोटो ग्राफी
				1	हेयरकटिंग सैलून
				5	किराना जनरल स्टोर
				1	आभूषण की दुकान
				34	बकरी पालन
				1	आटोरिक्शा
				4	ठेला भूसा व्यवसाय
				1	आटो पार्ट्स
				3	इलेक्ट्रानिक शॉप
				1	जूता चप्पल दुकान
				2	सब्जी फल की दुकान
				1	टार्च मरम्मत
				1	कपड़ा फेरी
				1	गुड़ निर्माण
				1	बिल्डिंग मैटेरियल
				1	चायपान की दुकान
				3	सुकरपालन
		योग :		**135**	

क्र0सं0	वर्ष	लक्ष्य	पूर्ति	परियोजना का विवरण	
	2011-12	210	82	9	डेयरी
				2	फर्नीचर उद्योग
				11	किराना जनरल स्टोर
				1	डी0जे0 बैन्ड पार्टी
				1	अगरबत्ती
				19	बकरी पालन
				1	रेडीमेड कपड़े की दुकान
				1	आटोपार्ट्स
				1	मेडिकल स्टोर
				2	मोबाइल शॉप
				1	कम्प्यूटर फोटोग्राफी
				1	गन्ना कोल्हू जूस व्यवसाय
				2	सुकरपालन
				1	मिठाई की दुकान
				5	कपड़ा सिलाई की दुकान
				24	पोट्रीफार्म (2 समूह)
		योग :		**82**	

पी0एस0यू0पी0एल0 190 विधान सभा (332)-23-1-2012-813 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।